



ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
(पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में)  
कॉर्पोरेट ऑफिस : प्लेट ए' ऑफिस ब्लॉक-IV, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स  
किंदवर्ड नगर पूर्व, नई दिल्ली - 110023

सिन: [U66010DL1947GOI007158](#)

संदर्भ संख्या: ओआईसीएल/भर्ती/डीआरई-2025/प्रशा.अधि.-।

वेबसाइट: <https://orientalinsurance.org.in>

तारीख: 01.12.2025

ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 300 प्रशासनिक अधिकारियों (स्केल-।) की भर्ती

ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो सार्वजनिक क्षेत्र की एक अग्रणी तथा पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व वाली साधारण बीमा कंपनी है, ओपन मार्केट से स्केल। संवर्ग में 300 (285 जनरलिस्ट और 15 हिंदी अधिकारी) अधिकारी की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित करती है।

कृपया महत्वपूर्ण तिथियों को नोट करें:

ऑनलाइन पंजीकरण के आरंभ की तिथि	1 दिसंबर, 2025
ऑनलाइन पंजीकरण की आखिरी तारीख	15 दिसंबर, 2025
आवेदन शुल्क का भुगतान	1 दिसंबर, 2025 से 15 दिसंबर, 2025 (दोनों दिन मिलाकर)
ऑनलाइन परीक्षा की तिथि – चरण I (जनरलिस्ट एवं हिंदी अधिकारी )	10 जनवरी, 2026
परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने की तिथि	बाद में सूचित की जाएगी
ऑनलाइन परीक्षा की तारीख – चरण II (जनरलिस्ट एवं हिंदी अधिकारी )	28 फरवरी, 2026

अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन तरीके से ही आवेदन करेंगे। आवेदन का अन्य कोई तरीका/ विधि स्वीकार्य नहीं होगा।

रिक्तियां (संभावित):

पद	पदों की संख्या	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति	ईडल्यूएस	जिसमें से दिव्यांगजन			
							ए	बी	सी	डी और ई
जनरलिस्ट (बैकलॉग सहित)	285	123	68	42	24	28	3	3	4	4
हिंदी (राजभाषा) अधिकारी	15	7	4	2	1	1			1	

संक्षिप्तीकरण का अर्थ है: यूआर: अनारक्षित; ओबीसी: अन्य पिछड़ा वर्ग; एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ईडल्यूएस: आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग; पीडब्ल्यूबीडी : बैंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति; ए: अंधापन और कम दृष्टि; बी: बाधिर और सुनने में कठिनाई; सी: मस्तिष्क पक्षाधात, ठीक हुआ कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास सहित लोकोमोटर विकलांगता; डी: ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी; ई: बहरा-अंधापन सहित खंड (ए) से (डी) के तहत व्यक्तियों में से कई विकलांगताएं;

ऊपर दी गई रिक्तियां अस्थायी हैं और कंपनी के पास उस समय कंपनी की वास्तविक अपेक्षाओं के अनुसार इनमें बदलाव करने का अधिकार है।

- i) ओबीसी संवर्ग के अभ्यर्थी जो "CREAMY LAYER" में आते हैं, उन्हें ओबीसी आरक्षण और आयु में क्षेत्र नहीं मिलेगी। उन्हें अपना संवर्ग अनारक्षित बताना चाहिए।

- ii) विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत आरक्षण, परिणाम फ़ाइनल करते समय उपलब्ध सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
- iii) भर्ती में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था. (आरईएस) दिनांक 31.01.2019 द्वारा नियंत्रित होता है।

**अस्वीकरण:** “ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अस्थायी हैं और भारत सरकार के आगामी के निर्देशों और किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं। यह नियुक्ति अस्थायी है और आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को सही तरीकों से सत्यापित किए जाने के अधीन है।”

**नोट:** अभ्यर्थी सिर्फ़ किसी एक पद के लिए आवेदन कर सकता है। एक से ज्यादा आवेदन (एक ही पद में या अलग-अलग पदों में) होने पर, सिर्फ़ अद्यतन वैध (पूरा भरा हुआ) आवेदन ही रखा जाएगा और दूसरे कई पंजीकरणों के लिए दिया गया आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क ज़ब्त हो जाएगा।

## राष्ट्रीयता

कंपनी में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी निम्न में से कोई एक होना चाहिए:—

- ए) भारत का नागरिक हो, या
- बी) नेपाल का नागरिक हो, या
- सी) भूटान का नागरिक हो, या
- डी) एक तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो, या
- ई) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ़ तंजानिया, ज़ाम्बिया, मलावी, ज़ेरे, इथियोपिया और वियतनाम से भारत में हमेशा के लिए बसने के इरादे से आया हो।

बशर्ते कि श्रेणी (बी), (सी), (डी) और (ई) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

कृपया ध्यान दें कि यहां बताए गए अहर्ता मापदंड इस पद के लिए आवेदन करने के मूल मापदंड हैं। साक्षात्कार के समय, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में बताई गई संवर्ग, राष्ट्रीयता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि से जुड़ी अपनी पहचान और पात्रता के समर्थन में अपने वास्तविक और स्वयं सत्यापित फोटोकॉपी ज़रूरी तौर पर दिखानी होगी। कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी भी स्तर पर आवेदन डेटा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। केवल पद के लिए आवेदन करने और ऑनलाइन परीक्षा और/या उसके बाद के साक्षात्कार और/या उसके बाद की प्रक्रिया में शॉटलिस्ट होने का मतलब यह नहीं है कि अभ्यर्थी को कंपनी में नियुक्ति अवश्य ही मिलेगी। जिस संवर्ग/पद के लिए आवेदन किया गया है, उसके अलावा किसी और संवर्ग/पद के तहत अभ्यर्थिता पर विचार करने के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

## 1. सेवा शर्तें

सेवा की शर्तें कंपनी के समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ही लागू होंगी। नियुक्ति हेतु चुने गए अभ्यर्थियों को कंपनी की अपेक्षानुसार भारत में निर्णीत किसी भी स्थान पर तैनात या स्थानांतरित किया जा सकता है। तैनाती के प्रथम स्थान पर कम से कम 3 साल रहना होगा। हिंदी अधिकारी के रूप में चुने गए अभ्यर्थियों को कंपनी के विवेकानुसार निर्णीत कोई अवधि या कम से कम 5 साल तक उसी स्पेशलाइज़ेशन में बने रहना पड़ सकता है। हालांकि, वे कंपनी के नियमों के अनुसार पदोन्नति के के पात्र बने रहेंगे।

## 2. परिवीक्षा

कंपनी के नियमित पे रोल पर अधिकारी संवर्ग में नियुक्त अभ्यर्थी कार्यभार संभालने की तारीख से एक साल के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा। परिवीक्षा अवधि को दो बार छह महीने के लिए एक वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है।

परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारियों को इश्योरेंस इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया द्वारा आयोजित गैर-जीवन “लाइसेसिएट परीक्षा” उत्तीर्ण करनी होगी। यह परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही अधिकारी कंपनी में अपनी सेवा के स्थायीकरण का पात्र होगा। विस्तृत परिवीक्षा अवधि के दौरान कथित परीक्षा उत्तीर्ण न किए जाने पर अधिकारी को निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर सेवा से पदच्युत किया जा सकता है।

अगर परिवीक्षा अवधि या विस्तृत परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय अभ्यर्थी अनुपयुक्त पाया जाता है, तो कंपनी बिना

किसी नोटिस या कोई कारण बताए उसकी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार रखती है।

### 3. गारंटी बांड

चुने गए परिवीक्षाधीन अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने से पूर्व यह वचन पत्र देना होगा कि परिवीक्षा अवधि को मिलाकर कम से कम 4 वर्षों तक उसे कंपनी में सेवाएं देनी होंगी। अगर वे बॉन्ड की अवधि खत्म होने से पहले कंपनी से त्यागपत्र देते हैं, तो उन्हें परिवीक्षा के वर्ष के दौरान मिली एक वर्ष के कुल वेतन के बराबर हर्जाना देना होगा, जिसे दी गई सेवा अवधि के आधार पर अनुपातिक रूप से कम किया जा सकता है। इसके अलावा, उन्हें एक साल के कुल वेतन के बराबर राशि का एक स्टैप्ड बॉन्ड जमा करना होगा, जिसे दो श्योरिटी (जो खून के रिशेदार न हों) से बनवाया जाएगा, जिनकी वित्तीय हालत अच्छी हो।

परिवीक्षा अवधि के दौरान कंपनी से त्यागपत्र देने वाले अभ्यर्थियों और जिन अभ्यर्थियों की सेवा कंपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान समाप्त कर देती है, उन्हें कंपनी में अपनी संपूर्ण सेवा के दौरान प्राप्त वेतन के अतिरिक्त प्रशिक्षण की आंशिक लागत के रूप में **रु.40,000/- की राशि का भुगतान करना होगा।** वर्तमान नियोक्ता के साथ किसी स्तर पद को बनाए रखने के लिए निष्पादित कोई भी ग्रहणाधिकार/बॉन्ड कंपनी के लिए बाध्य नहीं होगा और कोई वेतन अवकाश या पेशन अंशदान नहीं किया जाएगा।

### 4. परिलक्षियाँ और लाभ

रु. 50925-2500(14)-85925-2710(4)-96765 के वेतनमान में मूल वेतन रु.50925/- और दूसरे भत्तों जो लागू हों। अभी महानगर केन्द्रों में कुल वेतन लगभग रु. **85000/- प्रति महीना होगी।** अन्य लाभ जैसे पीएफआरडीए द्वारा चलाए जा रहे नई पेंशन योजना के तहत पेंशन, ग्रेचुरी, एलटीएस, चिकित्सा लाभ, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा इत्यादि नियमों के अनुसार होंगे। अधिकारी नियमानुसार कंपनी के/ पटे पर आवास के भी पात्र होंगे।

### 5. शैक्षणिक योग्यता (30.11.2025 तक )

अभ्यर्थियों के पास 30.11.2025 तक योग्य परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

विविध पदों के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है:

क्रम संखा	अनुशासन	न्यूनतम योग्यता
1.	जनरलिस्ट अधिकारी	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी डिग्री परीक्षा में कम से कम 60% अंकों के साथ (एससी/एसटी के लिए कम से कम 55%) किसी भी विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर।
2.	हिंदी ( राजभाषा ) अधिकारी	<p>किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में 60% (एससी/एसटी के लिए 55% अंकों) अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या इलेक्टिव विषय हो या परीक्षा का माध्यम हो।</p> <p>किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में 60% (एससी/एसटी 55% अंकों) अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी माध्यम हो और अंग्रेजी एक अनिवार्य या इलेक्टिव विषय हो या परीक्षा का माध्यम हो।</p> <p>किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में 60% (एससी/एसटी के लिए 55% अंकों) अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी या अंग्रेजी माध्यम हो और हिंदी एक अनिवार्य या इलेक्टिव विषय हो या परीक्षा का माध्यम हो।</p> <p>किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में 60% (एससी/एसटी के लिए 55% अंकों) अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी या अंग्रेजी अनिवार्य या इलेक्टिव विषय हों या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा अनिवार्य या इलेक्टिव विषय हो।</p>

## टिप्पणी:

- शैक्षणिक योग्यता सरकारी विनियामक निकायों द्वारा स्वीकृत/ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से प्राप्त होनी चाहिए।
- अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा 30.11.2025 या इससे पूर्व घोषित परिणाम का उचित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
- अभ्यर्थी के पास 30.11.2025 को आवश्यक योग्यता की मार्कशीट/ डिग्री प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी के प्रतिशत अंक, अभ्यर्थी द्वारा सभी सेमेस्टर/वर्षों में सभी विषयों में प्राप्त कुल अंकों को, ऑनर्स/वैकल्पिक/अतिरिक्त वैकल्पिक विषय (यदि कोई हो) को ध्यान में रखे बिना, सभी विषयों में प्राप्त कुल अधिकतम अंकों से विभाजित करके प्राप्त किए जाएँगे। यह उन विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा जहाँ श्रेणी/ग्रेड केवल ऑनर्स अंकों के आधार पर तय किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त प्रतिशत के अंश को अनदेखा कर दिया जाएगा, अर्थात् 59.99% को 60% से कम माना जाएगा।
- जहाँ सीजीपीए/ओजीपीए प्रदान किया जाता है, वहाँ अभ्यर्थी को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तित करने के संबंध में विश्वविद्यालय के मानदंड तथा मानदंडों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताया गया हो।

### 6. 30.11.2025 को आयु

30.11.2025 तक, न्यनतम आयु: 21 साल अधिकतम आयु: 30 साल

अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 30.11.1995 से पहले और 30.11.2004 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए (दोनों तिथियां शामिल हैं)। ऊपरी आयु सीमा में छूट निम्न प्रकार होगी:

क्र. सं.	श्रेणी	आयु में छूट
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 साल
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग (अबोसी – नॉन क्रीमी लेयर)	3 वर्ष
3.	“दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016” के तहत परिभाषित बैंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति	10 वर्ष
4.	भूतपूर्व सैनिक, आयुक्त अधिकारी जिनमें आपातकालीन आयुक्त अधिकारी (ईसीओ)/अल्प सेवा आयुक्त अधिकारी (एसएससीओ) शामिल हैं, जिन्होंने 30.11.2025 तक कम से कम 5 वर्ष की सैन्य सेवा पूरी कर ली है और (क) बर्खास्तीया या सेवामुक्ति के अलावा कदाचार या अकुशलता के कारण (उन लोगों सहित जिनका कार्यभार 30.11.2025 से एक वर्ष के भीतर पूरा होने वाला है); या (ख) सैन्य सेवा के कारण शारीरिक अक्षमता के कारण; या (ग) अशक्तता के कारण कार्यभार पूरा होने पर कार्यमुक्त कर दिए गए हैं। इसीओ/एसएससीओ जिन्होंने 30.11.2025 तक पांच वर्ष की सैन्य सेवा की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यभार पांच वर्ष से आगे बढ़ा दिया गया है और जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण पत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से चयन होने पर तीन महीने के नोटिस पर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।	5 साल
5.	विदेश में युद्ध के दौरान या किसी अशांत क्षेत्र में अपरेशन के दौरान अक्षम होने के परिणामस्वरूप रिहा हुए रक्षा सेवा कार्मिक।	3 वर्ष
6.	विधवा, तलाकशुदा महिलाएं और अपने पति से कानूनी तौर पर अलग हुई महिलाएं, जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है	9 वर्ष
7.	सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियाँ (जीआईसी और एग्रीकल्टर इश्योरेस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड सहित) के वर्तमान स्थायी कर्मचारी	8 वर्ष

## टिप्पणी

- i. यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त श्रेणियों में से एक से अधिक के अंतर्गत छूट के लिए पात्र है, तो आयु में छूट संचयी आधार पर उपलब्ध होगी, बशर्ते कि अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक न हो।
- ii. आयु में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों को आवश्यक प्रमाणपत्रों की प्रतियां जमा करनी होगी और साक्षात्कार के समय और/या भर्ती प्रक्रिया के किसी भी बाद के चरण में सत्यापन के लिए मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- iii. यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों (जीआईसी और भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड सहित) का मौजूदा स्थायी कर्मचारी होने के कारण आयु में छूट का पात्र है, तो उसे या तो 'दिव्यांग व्यक्ति' के रूप में या 'सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों (जीआईसी और भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड सहित) के मौजूदा स्थायी कर्मचारी' के रूप में छूट स्वीकार्य होगी, जो भी उसके लिए अधिक लाभकारी हो।
- iv. यदि कोई भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक के रूप में उसे पुनर्नियोजन के लिए दिए गए लाभों का लाभ उठाने के बाद, सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी में शामिल हो जाता है, तो सरकार में पुनर्नियोजन के लिए उसका भूतपूर्व सैनिक का दर्जा समाप्त हो जाता है। हालाँकि, वह भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू आयु सीमा में छूट का पात्र होगा/होगी।
- v. कोई भूतपूर्व सैनिक, जो किसी भी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता/करती है, किसी भी बाद के रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता/सकती है। हालाँकि, इस लाभ का लाभ उठाने के लिए, भूतपूर्व सैनिक को, जैसे ही वह किसी भी सिविल रोजगार में शामिल होता/होती है, संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन के तिथिवार विवरण के बारे में स्व-घोषणा/वचनपत्र देना होगा, जिनके लिए उसने प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती से भरी जाती हैं और जहाँ भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू होता है।
- vi. अधिकारी संवर्ग में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

## 7. परिभाषाएँ

- क. भूतपूर्व सैनिक (इएक्सएफएम): केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसचना संख्या 36034/5/85 स्थापना (एससीटी) दिनांक 27.01.1986, समय-समय पर संशोधित, में निर्धारित संशोधित परिभाषा को पूरा करते हैं।
  - ख. दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक (डीआईएसएक्सएस): वे भूतपूर्व सैनिक जो संघ के सशस्त्र बलों में सेवा करते समय दुश्मन के विरुद्ध या अशांत क्षेत्रों में कार्रवाई के दौरान दिव्यांग हो गए थे, उन्हें डीआईएसएक्सएस माना जाएगा।
  - ग. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी): "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" की धारा 34 के अंतर्गत, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति आरक्षण के पात्र हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित दिव्यांगता की आरक्षित श्रेणियाँ हैं:
    - क) अंधापन और कम दृष्टि;
    - ख) बधिर और कम सुनने वाले;
    - ग) मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, बौनापन, तेजाब फैंकने से पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास सहित गतिजन्य विकलांगता;
    - घ) ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट अधिगम विकलांगता और मानसिक रोग;
  - ड) खंड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से प्रत्येक विकलांगता के लिए चिह्नित पदों में बधिर-अंधापन सहित बहु-विकलांगताएँ:
- नोट: उपरोक्त निर्दिष्ट विकलांगताओं की परिभाषा "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" की अनुसूची के अनुसार होगी।

## I. सहायक लेखक का उपयोग करने वाले दिव्यांग लोगों के लिए दिशानिर्देश

सहायक लेखक को भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांगता मामलों के विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन एफ. सं. 16-110/2003-DDIII दिनांक 26 फरवरी, 2013 और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण एफ. सं. 3/2/2013-कल्याण दिनांक 26.04.2013, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग (दिव्यांगजन) के कार्यालय ज्ञापन एफ. सं. 34-02/2015-DD-III दिनांक 29.08.2018 और एफ. सं. 29-6/2019-DDIII दिनांक 10.08.2022 के अनुसार जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग करने की अनुमति होगी। ऐसे सभी मामलों में जहाँ सहायक लेखक का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

- अभ्यर्थी को अपने खर्चे पर अपने सहायक लेखक की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- ओएम - एफ. नं.. 29-6/2019- डीडी-III दिनांक 10.08.2022 के अनुसार सहायक लेखक की सुविधा लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा के समय एक प्रमाणपत्र दिखाने पर सहायक लेखक की सुविधा दी जाएगी, जिसमें यह बताया गया हो कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में दिक्कत है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए सहायक लेखक ज़रूरी है, जो परिशिष्ट । में दिए गए प्रोफॉर्म के अनुसार किसी सरकारी हेल्पकेयर संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से हो।
- जनरलिस्ट पद के लिए सहायक लेखक किसी भी शैक्षणिक स्ट्रीम से हो सकता है। विशेषज्ञ पद के लिए, सहायक लेखक को उस विशेषज्ञ स्ट्रीम से अलग शैक्षणिक स्ट्रीम से होना चाहिए। सहायक लेखक की योग्यता अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्टेप कम होनी चाहिए।
- अभ्यर्थी और सहायक लेखक दोनों को एक सही वचनपत्र देना होगा जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि सहायक लेखक ऊपर बताए गए सहायक लेखक के लिए सभी तय योग्यता मापदंड को पूरा करता है । इसके अलावा, अगर बाद में पता चलता है कि उसने कोई तय योग्यता मापदंड पूरा नहीं किया है या ज़रूरी बातें छिपाई हैं, तो एप्लीकेंट का अभ्यर्थिता रद्द कर दिया जाएगा, चाहे काम का नतीजा कुछ भी हो।
- ऑनलाइन आवेदन के समय या परीक्षा के समय या किसी भी स्तर पर जमा किए गए घोषणा पत्र में अभ्यर्थी/सहायक लेखक के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी देने पर अभ्यर्थी और सहायक लेखक को या तो हमेशा के लिए या कंपनी द्वारा तय किए गए तय समय के लिए रोक दिया जाएगा।
- जो अभ्यर्थी सहायक लेखक का इस्तेमाल करते हैं, वह परीक्षा के हर घंटे के लिए 20 मिनट या और बताए गए अतिरिक्त समय या दिए गए समय का पात्र होगा।
- समय की महत्ता को देखते हुए, क्योंकि परीक्षा प्रतिस्थित है, अभ्यर्थी को कंपनी को पूरी तरह से विश्वास दिलाना होगा कि उसे लिखने के लिए एक सहायक लेखक की ज़रूरत भी क्योंकि उसमें बैंचमार्क/विशिष्ट दिव्यांग लोगों के संबंध में जारी दिशानिर्देशों में व्यक्त सीमा के अनुसार लिखने की शारीरिक क्षमता कम है।
- सहायक लेखक इस प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि सहायक लेखक ने उसी परीक्षा के लिए किसी दूसरे सत्र में भी उपस्थित हुआ है, तो सहायक लेखक और अभ्यर्थी दोनों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- सहायक लेखक ऑरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का वर्तमान कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- जो अभ्यर्थी परीक्षा में सहायक लेखक की सर्विस लेना चाहते हैं और इसके लिए योग्य हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में यह बात ध्यान से बतानी चाहिए। इसके बाद कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- एक ही सहायक लेखक का इस्तेमाल एक से ज्यादा अभ्यर्थी नहीं कर सकते। अभ्यर्थी द्वारा व्यवस्थित किया गया सहायक लेखक ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। अगर प्रक्रिया के लिए भी स्तर पर ऊपर बताई गई बातों का उल्लंघन पाया जाता है, तो अभ्यर्थी और सहायक लेखक दोनों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- सिफ़ उन अभ्यर्थियों को ऐसी छूट मिलेगी जो अतिरिक्त समय के लिए पंजीकृत हैं (ऑनलाइन पंजीकरण के समय)। क्योंकि अभ्यर्थियों को दिया जाने वाला अतिरिक्त समय सिस्टम आधारित होगा। अगर अभ्यर्थी इसके लिए पंजीकृत नहीं है, तो परीक्षा कराने वाली एजेंसी के लिए अतिरिक्त समय देना मुमकिन नहीं होगा। जिन अभ्यर्थियों ने अतिरिक्त समय के लिए पंजीकरण नहीं किया है, उन्हें ऐसी छूट नहीं मिलेगी।
- परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर अगर यह पाया जाता है कि सहायक लेखक स्वयं प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, तो परीक्षा सत्र खत्म कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो सहायक लेखक की सेवा ले रहे हैं, उनका अभ्यर्थिता भी रद्द कर दी जाएगी। अगर परीक्षा के बाद परीक्षण प्रशासक स्टाफ यह शिक्यत करता है कि सहायक लेखक ने स्वयं प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। ऐसे मामलों में, अभ्यर्थी और सहायक लेखक को आगे के सभी प्रक्रियाओं से हमेशा के लिए या कुछ समय के लिए निष्कासित भी किया जा सकता है।
- कंपनी या परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी अभ्यर्थी/सहायक लेखक का ऑनलाइन आधार पर सत्यापन भी कर सकती है।

## II. पीडब्ल्यूडीडी अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश:

### i. दृष्टिबाधित अभ्यर्थी (ब्रेणी ए)

- जिन अभ्यर्थियों को कम से कम 40% की विकलांगता है, वे परीक्षा का विषय बड़े अक्षरों में देखने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा के हर घंटे के लिए 20 मिनट या बताया गया अतिरिक्त समय मिलेगा।
- दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को परीक्षा का विषय बड़े अक्षरों में देखने की सुविधा मिलेगी।

### ii. पहचानी गई बैंचमार्क विकलांगताओं की (ब्रेणी सी) के अभ्यर्थी

- पहचानी गई बैंचमार्क विकलांगताओं की (ब्रेणी सी) में जिन अभ्यर्थियों का प्रमुख (लेखन) कार्य का निष्पादन (न्यूनतम 40% हानि) की सीमा कम है, उन्हें परीक्षा के हर घंटे के लिए 20 मिनट या और बताया गया अतिरिक्त समय मिलेगा।

### iii. पहचानी गई बैंचमार्क विकलांगताओं (ब्रेणी डी) के अभ्यर्थी

- 40% से अधिक पहचानी गई बैंचमार्क विकलांगताओं की (ब्रेणी डी) में अभ्यर्थियों को परीक्षा के हर घंटे के लिए 20 मिनट या और बताया गया अतिरिक्त समय मिलेगा चाहे वे सहायक लेखक की सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं या नहीं।

#### iv. विशिष्ट विकलांगता वाले ऐसे व्यक्ति जिनकी विकलांगता 40% से कम हो और जिन्हें लिखने में दिक्कत हो

पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों (जिनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक है) पर लागू निर्देशों के अलावा, निम्नलिखित नियम विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के खंड 2 (एस) की परिभाषा के तहत आने वाले निर्दिष्ट विकलांगता यानी 40% से कम विकलांगता वाले व्यक्ति और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति वाले व्यक्तियों के लिए लागू होंगे, उक्त अधिनियम के खंड 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं:

- लिखने में दिक्कत वाले लोगों को लिखने के लिए लिखने वाले की सुविधा और/या मुआवजे के तौर पर समय सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा, जिन्हें यह प्रमाण पत्र देना होगा कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में दिक्कत है और उसकी तरफ से परीक्षा लिखने के लिए लिखने वाले की ज़रूरत है, जैसा कि परिशिष्ट-। में दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार किसी सरकारी हेत्यकेर इस्टिट्यूशन के योग्य चिकित्सा अधिकारी से मिला हो।

- परीक्षा देने वाले सहायक लेखक की योग्यता अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्टेप कम होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपना सहायक लेखक चुन रहा है, उसे परिशिष्ट-॥ में दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार अपने सहायक लेखक का विवरण देना होगा।

कोई भी अभ्यर्थी जो ऊपर बताए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सहायक लेखक का उपयोग करने के पात्र नहीं है, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा में सहायक लेखक उपयोग करता है, उसे भर्ती प्रक्रिया में आगे हिस्सा लेने के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा। ऊपर बताए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके सहायक लेखक का उपयोग करने वाला कोई भी अभ्यर्थी इस प्रक्रिया से अयोग्य हो जाएगा और अगर वह पहले ही कंपनी में कार्यभार ग्रहण कर चुका है, तो उसे बिना किसी नोटिस के सेवाओं से मुक्त किया जा सकता है।

ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों में समय-समय पर किए गए परिवर्तनों, यदि कोई हो, के तहत हैं।

#### डी. ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) :

1. जो लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मौजूदा आरक्षण योजना के तहत कवर नहीं हैं और जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये (सिर्फ आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें आरक्षण का लाभ उठाने के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में माना जाएगा। आय में सभी स्रोतों से होने वाली आय शामिल होगी, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, कारोबार इत्यादि और यह वित्त वर्ष 2024-25 की आय होगी। प्रमाणपत्र 31/03/2025 के बाद जारी किया गया होना चाहिए। साथ ही, जिन लोगों के परिवार के पास नीचे दी गई कोई भी संपत्ति है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के रूप से अपवर्जित किया जाएगा, चाहे परिवार की आय कुछ भी हो:

- 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;
- 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा दूसरे इलाकों में 200 वर्ग यार्ड और उससे ज़्यादा का आवासीय प्लॉट।

2. ईडब्ल्यूएस श्रेणी निर्धारित करने के लिए जमीन या प्रॉपर्टी होल्डिंग परीक्षा लागू करते समय, एक "परिवार" की अलग-अलग स्थानों या अलग-अलग स्थानों/शहरों में प्रॉपर्टी को एक साथ जोड़ा जाएगा।

3. ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ किसी सक्षम प्राधिकरण से जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र दिखाने पर मिल सकता है। भारत सरकार द्वारा बताए गए किसी भी प्राधिकरण द्वारा तय फ़ार्मेंट में जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को ही अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस होने के दावे के प्रमाण के तौर पर माना जाएगा। साक्षात्कार के लिए शॉटिलिस्ट किए गए अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय और कंपनी की आवश्कतानुसार भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर भारत सरकार द्वारा बताया गया ज़रूरी प्रमाणपत्र लाना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें साक्षात्कार में नहीं बैठने दिया जाएगा/उनका कैंडिडेची अभ्यर्थिता किसी भी चरण पर रद्द की जा सकती है।

4. इस उद्देश्य हेतु "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 साल से कम उम्र के भाई-बहन, साथ ही उसका जीवनसाथी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे।

5. इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा।

अस्वीकरण : ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अस्थायी हैं और भारत सरकार के आगामी निर्देशों और किसी भी मुकदमे के निर्णय पर आधारित हैं। ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों में समय-समय पर किए गए परिवर्तनों, यदि कोई हो, के तहत हैं।

#### 8. चयन प्रक्रिया

##### फेज़-I: प्राथमिक परीक्षा (जनरलिस्ट और हिंदी अधिकारी दोनों के लिए लागू)

100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा वाली शुरुआती परीक्षा ऑनलाइन होगी। यह परीक्षा 1 घंटे की होगी और इसमें 3 खंड होंगे, जो इस तरह हैं:

क्र.सं.	परीक्षा का नाम (क्रमवार में नहीं)	परीक्षा का प्रकार	अधिकतम अंक	प्रत्येक परीक्षा/ खंड हेतु अवधि (अलग-अलग समय)	रूपांतरण
1	अंग्रेजी भाषा	वस्तुनिष्ठ	30	20 मिनट	अंग्रेजी
2	तर्क क्षमता	वस्तुनिष्ठ	35	20 मिनट	अंग्रेजी / हिंदी
3	मात्रात्मक योग्यता	वस्तुनिष्ठ	35	20 मिनट	अंग्रेजी / हिंदी
	कुल		100		

अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा में कंपनी द्वारा निर्धारित पास अंकों को अवश्य प्राप्त करना होगा। प्रत्येक श्रेणी में कंपनी द्वारा निर्णीत (रिक्तियों की संख्या का 20 गुणा, उपलब्धता के आधार पर) पर्याप्त अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

#### फेज़ – II: मुख्य परीक्षा ऑनलाइन (केवल जनरलिस्ट के लिए लागू)

मुख्य परीक्षा में 200 अंकों वाली वस्तुनिष्ठ तथा 30 अंकों की वर्णनात्मक परीक्षा शामिल होगी। वस्तुनिष्ठ एवं वर्णनात्मक दोनों परीक्षाएं ऑन-लाइन होंगी। अभ्यर्थियों को वर्णनात्मक परीक्षा कंप्यूटर पर टाईप करके देनी होगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा को पूरा होने के तुरंत बाद वर्णनात्मक परीक्षा ली जाएगी।

- (I) **वस्तुनिष्ठ परीक्षा:** 2.5 घंटे की अवधि की वस्तुनिष्ठ परीक्षा इस प्रकार होगी। प्रत्येक खंड के लिए अलग-अलग समय होगा। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले 5 मिनट का समय कॉल लेटर पर प्रदान किए गए स्थान पर विषय लिखने के लिए दिया जाएगा।

#### जनरलिस्ट के लिए

क्रमांक ।	परीक्षा का नाम	परीक्षा का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	परीक्षा का माध्यम	प्रत्येक परीक्षा/खंड का समय (अलग-अलग समय )
1	तर्क क्षमता	वस्तुनिष्ठ	45	45	अंग्रेजी / हिंदी	45 मिनट
2	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	40	40	अंग्रेजी	30 मिनट
3	सामान्य ज्ञान की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	40	40	अंग्रेजी / हिंदी	20 मिनट
4	मात्रात्मक योग्यता की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	40	40	अंग्रेजी / हिंदी	40 मिनट
5	कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	35	35	अंग्रेजी / हिंदी	15 मिनट
	कुल		200	200		150 मिनट
	अंग्रेजी भाषा	वर्णनात्मक	2	30	अंग्रेजी	30 मिनट

**वर्णनात्मक परीक्षा:** अंग्रेजी भाषा (निबंध लेखन-20 अंक तथा सार लेखन-10 अंक) की परीक्षा 30 अंकों वाली 30 मिनट की वर्णनात्मक होगी। वर्णनात्मक परीक्षा अंग्रेजी में होगी तथा ऑन-लाइन ही आयोजित की जाएगी।

प्रत्येक अभ्यर्थी को वर्णनात्मक परीक्षा मूल्यांकन/ साक्षात्कार में शॉर्टलिस्ट होने हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रत्येक खंड में अलग-अलग से न्यूनतम अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी वस्तुनिष्ठ परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तथा अधिक अंक प्राप्त करते हैं उनकी वर्णनात्मक उत्तर-पुस्तिका का ही मूल्यांकन किया जाएगा। उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर ही वर्णनात्मक परीक्षा मूल्यांकन हेतु कटऑफ का निर्णय लिया जाएगा। अभ्यर्थी को वर्णनात्मक परीक्षा को उत्तीर्ण करना आवश्यक है लेकिन वर्णनात्मक परीक्षा के अंकों की गणना अंतिम चयन हेतु साक्षात्कार में शॉर्टलिस्ट करने के लिए नहीं की जाएगी।

**प्रत्येक अभ्यर्थी को वस्तुनिष्ठ परीक्षा (मुख्य परीक्षा) में कम से कम अंक अर्जित करने होंगे (जो कंपनी रिक्तियों की संख्या के आधार पर तय करेगी) और साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए वर्णनात्मक परीक्षा पास करनी होगी।**

अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में अर्जित किए गए कुल अंकों और उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर ही साक्षात्कार हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

#### भाग बी. - केवल हिंदी अधिकारियों के लिए लागू

मुख्य परीक्षा में 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा और 50 अंकों की वर्णनात्मक परीक्षा होगी। वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दोनों परीक्षाएँ ऑनलाइन होंगी। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर टाईप करके वर्णनात्मक परीक्षा के उत्तर देने होंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षा पूरी होने के तुरंत बाद, वर्णनात्मक परीक्षा ली जाएगी।

- (I) **वस्तुनिष्ठ परीक्षा:** 2 घंटे की अवधि की वस्तुनिष्ठ परीक्षा इस प्रकार होगी। प्रत्येक खंड के लिए अलग-अलग समय होगा। परीक्षा शुरू होने से पहले 5 मिनट का समय कॉल लेटर पर दिए गए स्थान पर विषय लिखने के लिए दिया जाएगा।

हिंदी (राजभाषा) अधिकारियों के लिए 3 घंटे की ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी:

क्र मां क	परीक्षा का नाम	परीक्षा का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	परीक्षा का माध्यम	हर परीक्षा/खंड समय (अलग-अलग समय)
1	तर्क क्षमता	वस्तुनिष्ठ	25	25	अंग्रेजी / हिंदी	30 मिनट
2	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	25	25	अंग्रेजी	20 मिनट
3	व्यावसायिक ज्ञान (हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण/शब्दावली और राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित/अधिनियमों के ज्ञान की परीक्षा भाषा कार्यान्वयन, अनुवाद (अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी)	वस्तुनिष्ठ	50	100	अंग्रेजी और/या हिंदी	50 मिनट
4	सामान्य ज्ञान परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	25	25	अंग्रेजी / हिंदी	10 मिनट
5	कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	25	25	अंग्रेजी / हिंदी	10 मिनट
<b>कुल</b>			<b>150</b>	<b>200</b>		<b>120 मिनट</b>
	अंग्रेजी और हिंदी भाषा - अंग्रेजी निबंध) 10 अंक, हिंदी निबंध - 10 अंक, पत्र लेखन (हिंदी) - 10 अंक, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद - 10 अंक और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद - 10 अंक(	वर्णनात्मक	5	50	अंग्रेजी और/या हिंदी अंग्रेजी और या हिंदी, जैसा भी एक विशेष प्रश्न के लिए लागू हो।	60 मिनट

(ii) वर्णात्मक परीक्षा: 50 अंकों की 60 मिनट की अवधि वाली वर्णात्मक परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी भाषा की परीक्षा होगी (अंग्रेजी निबंध - 10 अंक, हिंदी निबंध - 10 अंक, पत्र लेखन (हिंदी) - 10 अंक, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद - 10 अंक और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद - 10 अंक)। वर्णात्मक परीक्षा अंग्रेजी और/या हिंदी में होगी और ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी।

प्रश्न कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। उत्तर कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप करने होंगे। हिंदी टाइपिंग के लिए, अभ्यर्थियों को निम्नलिखित की-बोर्ड लेआउट का ज्ञान होना चाहिए:

i.इनस्क्रिप्ट

ii.रेमिंगटन (गेल)

वर्णात्मक पेपर में प्रश्नों के उत्तर टाइप करना शुरू करने से पहले, कीबोर्ड के सभी की फंक्शन चेक कर लें। अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 60 मिनट मिलेंगे।

साक्षात्कार के लिए शॉर्ट-लिस्टिंग के लिए पात्र होने के लिए हर अभ्यर्थी को प्रत्येक खण्ड के लिए अलग से न्यूनतम अंक लाने होंगे।

इसके अतिरिक्त, साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट होने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में कम से कम पात्रता अंक (जो कंपनी रिक्तियों की संख्या के आधार पर तय करेगी) लाने होंगे।

गलत उत्तरों के लिए दंड (प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ परीक्षण) दोनों पर लागू):

"अंग्रेजी भाषा" को छोड़कर वस्तुनिष्ठ परीक्षा द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी में) होगी। सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न वैकल्पिक विकल्पों के साथ होंगे, जिनमें से एक सही उत्तर होगा। उम्मीदवार को सही उत्तर का चयन करना होगा और उस विकल्प पर "माउस क्लिक" करना होगा जो उसे सही लगता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में गलत उत्तरों के लिए दंड होगा। प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिया गया है, उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक-चौथाई अंक दंड के रूप में काट लिया जाएगा ताकि सही अंक प्राप्त हो सकें। यदि कोई प्रश्न खाली छोड़ दिया जाता है, यानी उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर चिह्नित नहीं किया जाता है; उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं होगा। जिस विकल्प/विकल्प पर क्लिक किया जाता है, वह हाइलाइट हो जाएगा और उसे उस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा।

परीक्षा के ढांचे को बदलने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है, जिसकी जानकारी उसकी वेबसाइट पर दी जाएगी।

अभ्यर्थियों को ऊपर बताए गए मूल्यांकन के बाद ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

**सभी अभ्यर्थियों पर लागू**

अभ्यर्थियों को अपने खर्च पर ऑनलाइन परीक्षा देना होगा।

परीक्षा के ढांचे को बदलने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है, जिसकी जानकारी उसकी वेबसाइट पर दी जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार में निष्पादन के आधार पर ही चयन किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट अभ्यर्थियों को प्राप्त समेकित अंकों के घटते क्रम के अनुसार तैयार की जाएगी। रिक्तियों की संख्या में मेरिट लिस्ट के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर ही विचार किया जाएगा। चुने गए अभ्यर्थियों की एक से अधिक बैच में नियुक्ति प्रबंधक के विवेकाधिकार पर होगी। इन चुने गए अभ्यर्थियों की वरिष्ठता मेरिट या चुनी हुई सूची के आधार पर होगी। अभ्यर्थियों की एक वेटिंग लिस्ट रिक्तियों की संख्या के अधिकतम 50% से अधिक नहीं होगी और फाइनल मेरिट लिस्ट में चुने गए अभ्यर्थियों को प्रस्तुत की गई नियुक्ति के स्वीकार न करने की स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सकता है। वेटिंग लिस्ट से अभ्यर्थियों को चुनने का फैसला पूरी तरह से प्रबंधन का विवेकाधिकार है।

JJ

कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थियों को नीचे दिए गए दस्तावेजों के बिना ऑनलाइन परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी (सभी दस्तावेज अनिवार्य हैं):

- (1) परीक्षा की संबद्ध तिथि और सत्र हेतु वैद्य कॉल लेटर
- (2) मूल फोटो-पहचान पत्र (जैसा नीचे बताया गया है\*\*) में वही जानकारी और नाम होना चाहिए जैसा कि कॉल लेटर/आवेदन फॉर्म पर दिखाई दे रहा है।
- (3) उपरोक्त फोटो-पहचान पत्र की फोटोकॉपी
- (4) ई-आधार कार्ड

#### \*\*पहचान सत्यापन

परीक्षा हॉल में और साक्षात्कार के समय, कॉल लेटर के साथ अभ्यर्थी की वर्तमान वैद्य फोटो पहचान की ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी, जैसे पैन कार्ड/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ वोटर कार्ड/ फोटो वाला बैंक पासबुक/ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा ऑफिशियल लेटरहेड पर जारी किया गया फोटो पहचान का प्रमाण/ किसी जन प्रतिनिधि द्वारा ऑफिशियल लेटरहेड पर जारी किया गया फोटो पहचान का प्रमाण/ किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हाल का वैद्य पहचान पत्र/ फोटो वाला आधार कार्ड/ एम्प्लॉई आईडी/ फोटो वाला बार काउंसिल पहचान पत्र, इंस्पेक्टर को जमा करना होगा और सत्यापन के लिए ओरिजिनल दिखाना होगा। अभ्यर्थी की पहचान कॉल लेटर, उपस्थिति लिस्ट और जमा किए गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों में दिए गए वर्णन के आधार पर सत्यापित की जाएगी। अगर अभ्यर्थी की पहचान पर संदेह होता है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस प्रक्रिया के लिए राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस वैद्य आईडी प्रूफ नहीं हैं।

नोट: अभ्यर्थियों को वास्तविक फोटो पहचान प्रमाण दिखाना होगा और उसकी फोटोकॉपी परीक्षा कॉल लेटर और साक्षात्कार कॉल लेटर के साथ परीक्षा और साक्षात्कार में शामिल होते समय जमा करनी होगी, इसके बिना उन्हें परीक्षा और साक्षात्कार में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। अभ्यर्थी ध्यान दें कि कॉल लेटर (पंजीकरण के प्रक्रिया के दौरान दिया गया) पर लिखा नाम फोटो पहचान प्रमाण पर लिखे नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए। जिन महिला अभ्यर्थियों ने शादी के बाद अपना पहला/आखिरी/बीच का नाम बदला है, उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर कॉल लेटर और फोटो पहचान प्रमाण में दिए गए नाम में कोई अंतर होता है, तो अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा।

जो अभ्यर्थी देरी से रिपोर्ट करेंगे, यानी कॉल लेटर पर दिए गए रिपोर्टिंग टाइम के बाद, उन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा। कॉल लेटर पर दिया गया रिपोर्टिंग टाइम परीक्षा शुरू होने के टाइम से पहले का है। हालांकि फेज़-I के लिए परीक्षा का टाइम 60 मिनट और फेज़-II और हिंदी ऑफिसर्स परीक्षा के लिए 180 मिनट है, लेकिन अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन और ज़रूरी डेटा/दस्तावेज इकट्ठा करने, लॉग इन करने, आदेश देने इत्यादि जैसी अलग-अलग औपचारिकताएं पूरी करने के लिए ज्यादा समय तक वेच्या पर रहना पड़ सकता है।

**बायोमेट्रिक डेटा – कैचरिंग और सत्यापन**

यह निर्णय लिया गया है कि जो अभ्यर्थी प्राथमिक परीक्षा (फेज-I) को पास करेंगे और मुख्य परीक्षा (फेज II) में बैठेंगे, उनका मुख्य परीक्षा (फेज II) के दिन बायोमेट्रिक डेटा (अंगूठे का निशान) और फोटोग्राफ लिया जाएगा।

बायोमेट्रिक डेटा और फोटो को बाद में सत्यापित किया जाएगा। बायोमेट्रिक डेटा सत्यापन प्राधिकारी का फैसला, इसके स्टेट्स (मिलान हुआ या नहीं) के बारे में आखिरी होगा और अभ्यर्थियों को मानना होगा।

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नीचे दी गई बातों का ध्यान रखें।

- अगर उंगलियों पर कोटिंग है (स्टैम्प इंक / मेहंदी / रंग ... इत्यादि), तो उन्हें अच्छी तरह धो लें ताकि परीक्षा / साक्षात्कार / जॉइनिंग के दिन से पहले कोटिंग पूरी तरह निकल जाए।
- अगर उंगलियां गंदी या धूल भरी हैं, तो फिंगर प्रिंट (बायोमेट्रिक) लेने से पहले उन्हें धोकर सुखा लें।
- ध्यान रखें कि दोनों हाथों की उंगलियां सूखी हों। अगर उंगलियां गीली हैं, तो उन्हें पोंछकर सुखा लें।
- अगर जिस मुख्य उंगली (अंगूठे) को कैचर करना है, उसमें चोट लगी हो या वह डैमेज हो, तो तुरंत टेस्ट केन्द्र में संबंधित अधिकारी को बताएं। ऐसे मामलों में दूसरी उंगलियों, पैर की उंगलियों इत्यादि का इंप्रेशन भी कैचर किया जा सकता है।

## भाग सी - साक्षात्कार

जनरलिस्ट तथा हिंदी (राजभाषा) अभ्यर्थी जिन्हें ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें बाद में कंपनी द्वारा आयोजित साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार चयनित केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। केंद्र, स्थल का पता, समय और साक्षात्कार की तारीख शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को कॉल लेटर में सूचित की जाएगी। अभ्यर्थियों को कंपनी की वेबसाइट से अपने साक्षात्कार के कॉल लेटर डाउनलोड करने की आवश्यकता है। कृपया ध्यान दें कि साक्षात्कार की तिथि, केंद्र आदि में बदलाव के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि कंपनी अप्रत्याशित परिस्थितियों में, अपने विवेक पर साक्षात्कार की तिथि / स्थल / समय / केंद्र आदि को बदलने या विशेष तिथि / सत्र / स्थल / केंद्र / अभ्यर्थियों के सेट के लिए अनुपूरक प्रक्रिया आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है,

### साक्षात्कार के समय पेश किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (जहां लागू हो):

नीचे दिए गए दस्तावेज और रिजिनल और स्वयं सत्यापित फोटोकॉपी साक्षात्कार के समय ज़रूर जमा करने होंगे। ऐसा न करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। **साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी द्वारा ज़रूरी दस्तावेज जमा न करने पर उसे भर्ती प्रक्रिया में आगे हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा।**

- i) वैद्य साक्षात्कार कॉल लेटर का प्रिंटआउट।
- ii) ऑनलाइन परीक्षा के लिए पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का वैद्य सिस्टम जनरेटेड प्रिंटआउट।
- iii) जन्म तिथि का प्रमाण (सक्षम नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या डीओबी के साथ एसएसएलसी/कक्षा X और XII प्रमाण पत्र)।
- iv) विज्ञापन के **“पहचान सत्यापन”** में बताए अनुसार फोटो पहचान प्रमाण।
- v) दसवीं, बारहवीं और स्नातक या समकक्ष योग्यता इत्यादि के लिए अंक और प्रमाणपत्र। बोर्ड/विश्वविद्यालय से 30.11.2025 को या उससे पहले परिणाम घोषित करने का सही दस्तावेज जमा करना होगा।
- vi) एससी/एसटी /ओबीसी संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, भारत सरकार के बताए गए फँगर्मेट में सक्षम प्राधिकारी से जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र, साथ में जाति वैद्यता प्रमाण पत्र।  
ओबीसी संवर्ग के अभ्यर्थी के मामले में, प्रमाण पत्र में खास तौर पर यह क्लॉज़ होना चाहिए कि अभ्यर्थी क्रीमी लेयर सेक्शन से नहीं है, जिसे भारत सरकार के सिविल पद और सर्विस में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लाभों से अपवर्जित किया गया है। नॉन-क्रीमी लेयर क्लॉज़ वाला ओबीसी जाति प्रमाण पत्र, पॉइंट नंबर 13(बी) में दिए गए ऑनलाइन पंजीकरण की तारीख तक वैद्य होना चाहिए। प्रमाण पत्र में दिया गया जाति का नाम, केन्द्र सरकार की सूची/अधिसूचना के साथ अक्षरश: मेल खाना चाहिए।

**जो अभ्यर्थी ओबीसी संवर्ग के हैं लेकिन क्रीमी लेयर में आते हैं और/या जिनकी जाति सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, वे ओबीसी आरक्षण के पात्र नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपनी संवर्ग जनरल बतानी चाहिए।**

- vii) दिव्यांग संवर्ग के मामले में जिला चिकित्सीय बोर्ड द्वारा जारी किया गया तय फँगर्मेट में दिव्यांगता प्रमाण पत्र।  
अगर अभ्यर्थी ने ऑनलाइन परीक्षा के समय किसी सहायक लेखक की सेवाएं ली है, तो हमारी वेबसाइट पर दिए गए तय फँगर्मेट में सहायक लेखक की पूरी जानकारी भरें।
- viii) भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय सेवा या डिस्चार्ज बुक की एक कॉपी, पेशन भुगतान ऑर्डर और पिछली/अभी की रेंक का दस्तावेजी प्रमाण (असल और विद्यमान) दिखाना होगा। जो लोग अभी भी रक्षा सेवा में हैं, उन्हें किसी सक्षम प्राधिकारी से यह प्रमाण पत्र जमा करना होगा कि वे 31.03.2026 को या उससे पहले रक्षा सेवा से

कार्यमुक्त हो जाएंगे।

- ix) सरकारी / अर्ध-सरकारी कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (राष्ट्रीयकृत बैंक और वित्तीय संस्थान सहित) में काम करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने एम्लॉयर से “अनापति प्रमाण पत्र” दिखाना होगा, इसके बिना उनके अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा और यात्रा खर्च, अगर कोई हो, तो नहीं दिया जाएगा।
- x) अनुभव प्रमाण पत्र, अगर कोई हो।
- xi) राष्ट्रीयता मापदंड के संवर्गों (बी), (सी), (डी) और (ई) में आने वाले लोगों को भारत सरकार का जारी किया गया योग्यता प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
- xii) पात्रता के संमर्थन में कोई अन्य आवश्यक दस्तावेज

**नोट:** अगर अभ्यर्थी ऊपर बताए गए ज़रूरी योग्यता दस्तावेज नहीं दिखा पाता है, तो उसे साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

#### **अंतिम चयन:**

अभ्यर्थियों के कुल अंतिम अंक, अभ्यर्थियों के ऑनलाइन मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ टेस्ट) और साक्षात्कार में मिले अंक के आधार पर निकाला जाएगा। ऑनलाइन मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार का वेटेज (अनुपात) क्रमशः 80:20 होगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में न्यूनतम कालिफ़ाइंग अंक लाने होंगे, जो कंपनी सही समय पर तय करेगी। जो अभ्यर्थियों न्यूनतम कालिफ़ाइंग अंक नहीं ला पाते हैं या जिन्हें साक्षात्कार या आगे के प्रक्रिया से रोक दिया जाता है, उनके अंक नहीं बताए जाएंगे। फ़ाइनल मेरिट लिस्ट, अभ्यर्थियों को मिले हुए अंकों के घटते क्रम में तैयार की जाएगी। अभ्यर्थी का मेरिट में इतना ऊपर होना चाहिए कि उसे बाद के भर्ती प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सके, जिसका विवरण बाद में कंपनी की वेबसाइट पर दिया जाएगा।

अगर दो या उससे ज्यादा अभ्यर्थी को कुल अंक एक जैसे मिलते हैं, तो फ़ाइनल मेरिट इस क्रम में तय की जाती है: ए) साक्षात्कार में मिले अंक (साक्षात्कार में ज्यादा अंक लाने वाले अभ्यर्थी को कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी से पहले/ऊपर रखा जाएगा)। अगर साक्षात्कार के अंक एक जैसे हैं, तो बी) जन्म की तारीख (उम्र में सीनियर अभ्यर्थी को उम्र में जूनियर अभ्यर्थी से पहले/ऊपर रखा जाएगा)।

चुने गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति कंपनी की ज़रूरतों के हिसाब से उनके चिकित्सीय रूप से स्वस्थ पाए जाने पर निर्भर करेगा। ऐसी नियुक्ति कंपनी के सेवा और आवरण नियमों के भी अधीन होगी।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले वे खुद सुनिश्चित कर लें कि वे आयु और योग्यता की ज़रूरतें पूरी करते हैं (योग्यता के लिए अंतिम परिणाम 30.11.2025 को या उससे पहले प्रकाशित हो जाना चाहिए और अगर वे अयोग्य पाए जाते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर उनका अभ्यर्थिता रद्द कर दिया जाएगा। ऑनलाइन मुख्य/परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने से उन्हें उस पद के लिए चुने जाने का कोई हक अपने आप नहीं मिल जाएगा।

#### **7. ए) आवेदन शुल्क (वापसी योग्य नहीं)**

01 दिसंबर, 2025 से 15 दिसंबर, 2025 तक ऑनलाइन भुगतान करना होगा (दोनों तारीखें शामिल हैं)

एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी	रु. . 250/- (जीएसटी के साथ) (सिर्फ़ सूचना खर्च)
अनु.जाति/ अनु.जनजाति / पीडब्ल्यूडी के अलावा सभी अभ्यर्थी	रु. . 1000/- (जीएसटी सहित) (आवेदन शुल्क, जिसमें सूचना खर्च भी शामिल है)

\*अगर ट्रांजैक्शन चार्ज लागू होता है, तो वह अभ्यर्थी को देना होगा।

एक बार भुगतान की गई फीस/सूचना खर्च किसी भी तरह से वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

#### **(ए) परीक्षा केंद्र:**

- परीक्षा कॉल लेटर में दी गई जगहों पर ऑनलाइन होगी।
- केन्द्र / जगह / तारीख / सत्र बदलने की कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- हालांकि, कंपनी के पास उत्तर, प्रशासनिक उपलब्धता इत्यादि के आधार पर किसी भी परीक्षा केन्द्र को रद्द करने और/या कुछ दूसरे केन्द्र से जोड़ने का अधिकार है।
- कंपनी के पास किसी भी अभ्यर्थी को उसके चुने हुए केन्द्र के अलावा अन्य केन्द्र आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित है।
- अभ्यर्थी अपने जोखिम और खर्च पर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होगा और कंपनी किसी भी तरह की चोट या नुकसान इत्यादि

के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

- प्राथमिक परीक्षा (फेज-1) के लिए केन्द्रों की संभावित सूची नीचे दी गई है:

**फेज-1 के लिए परीक्षा केंद्र:**

क्रम संख्या	राज्य	केंद्र	क्रम संख्या	राज्य	केंद्र
1	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा/ गुंटूर	17	महाराष्ट्र	“मुंबई/ नवी मुंबई/ ठाणे/ इमएमआर”
		विशाखापत्तनम/ तिरुपति			नागपुर
		ओंगोल			पुणे
2	असम	गुवाहाटी			छत्रपति संभाजी नगर
		डिब्बगढ़			नासिक
		सिलचर	18	मणिपुर	इम्फाल
		जोरहाट			चुराचांदपुर
3	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलगुन	19	मेघालय	शिलांग
4	बिहार	पटना	20	मिजोरम	आइजोल
		गया	21	नगालैंड	कोहिमा
		भागलपुर	22	ओडिशा	भुवनेश्वर
5	चंडीगढ़	“चंडीगढ़/ मोहाली”			कटक
6	छत्तीसगढ़	रायपुर/			राउरकेला
		दुर्ग, बिलासपुर			बहरामपुर - गंजम
7	दिल्ली - एनसीआर	दिल्ली - एनसीआर	23	पुडुचेरी	पुडुचेरी
8	गोवा	पणजी / मापुसा	24	पंजाब	अमृतसर
9	गुजरात	“अहमदाबाद/ गांधी नगर”			लुधियाना, जालंधर
		वडोदरा			भटिडा, पटियाला
		सूरत	25	राजस्थान	जयपुर
		राजकोट			जोधपुर
10	हरियाणा	हिसार, अम्बाला			बीकानेर
		फरीदाबाद	26	सिक्किम	गंगटोक
		गुडगाँव			बरदांग
11	हिमाचल प्रदेश	शिमला	27	तमिलनाडु	चेन्नई
		धर्मशाला			कोयंबटूर
		मंडी			मटुरै, सालेम,
					तिरुच्चिरापल्ली,
					तिरुन्नेलवेली
12	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	28	तेलंगाना	“हैदराबाद / रंगारेड्डी ”
		श्रीनगर			वारंगल, खम्मम,
		सांभा			करीमनगर
13	झारखण्ड	रांची	29	त्रिपुरा	अगरतला
		जमशेदपुर	30	उत्तर प्रदेश।	लखनऊ
14	कर्नाटक	बैंगलुरु			इलाहाबाद, प्रयागराज
					कानपुर
					नोएडा/ ग्रेटर नोएडा,
					गाजियाबाद, मेरठ,
					आगरा

		“ हुबली / धारवाड़”		31	उत्तराखण्ड	देहरादून
		मंगलौर				हरिद्वार / रुडकी
		मैसूर				हल्द्वानी / नैनीताल
		कलाबुरागी (गुलबर्गा)		32	पश्चिम बंगाल	कोलकाता / ग्रेटर कोलकाता
15	केरल	“एन्नाकुलम/कोच्चि”				सिलीगुड़ी
		तिरुवनंतपुरम				आसनसोल, दुर्गपुर
		कोजीकोड				
16	मध्य प्रदेश	भोपाल				
		इंदौर				
		ग्वालियर				
		जबलपुर, सतना				

फेज़-II के लिए परीक्षा केन्द्र (अस्थायी) :

क्रम सं ख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	केन्द्र -
1	आंध्र प्रदेश / तेलंगाना	हैदराबाद
2	असम	गुवाहाटी
3	बिहार	पटना
4	चंडीगढ़	मोहाली
5	छत्तीसगढ़	रायपुर
6	दिल्ली- एनसीआर	दिल्ली-एनसीआर
7	गुजरात	अहमदाबाद- गांधीनगर
8	हिमाचल प्रदेश	शिमला, विलासपुर
9	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
10	झारखण्ड	रांची
11	कर्नाटक	बैंगलुरु
12	केरल	एन्नाकुलम/कोच्चि
13	महाराष्ट्र	मुंबई/ नवी मुंबई/ठाणे/एमएमआर
14	मध्य प्रदेश	भोपाल
15	उड़ीसा	भुवनेश्वर
16	राजस्थान	जयपुर
17	तमिलनाडु	चेन्नई
18	उत्तर प्रदेश।	लखनऊ
19	उत्तराखण्ड	देहरादून
20	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

**नोट:** ऊपर बताए गए परीक्षा केन्द्र अस्थायी हैं, कंपनी आवश्यकतानुसार किसी भी केन्द्र को जोड़ने या हटाने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

- फेज़-II के लिए परीक्षा केन्द्र सीमित होंगे।

परीक्षा की तिथियां और केन्द्र कंपनी के विवेकानुसार परिवर्तित किए जा सकते हैं। फेज-1 और फेज-II परीक्षा के लिए अलग-अलग कॉल लेटर जारी किए जाएंगे और अभ्यर्थियों को कंपनी की वेबसाइट <https://orientalinsurance.org.in> पर दिए गए लिंक से उन्हें सही समय पर डाउनलोड करना होगा। बिना कॉल लेटर के अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**नोट:** यदि किसी “ऑनलाइन” परीक्षा के लिए विशेष केन्द्र हेतु पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा चयन नहीं किया जाता, तो कंपनी के पास उन अभ्यर्थी को अन्य कोई सहायक केन्द्र देने का अधिकार रखती है या अगर

किसी केन्द्र पर ऑनलाइन परीक्षा के लिए मौजूद क्षमता से ज्यादा अधिकारी हैं, तो कंपनी अधिकारी को कोई दूसरा केन्द्र देने का अधिकार रखती है।

#### 9 (बी) परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण (गैर-आवासीय):

एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी) / पीडब्ल्यूडी अधिकारी जो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन करते समय इसकी जानकारी दे सकते हैं। विवरण हेतु अधिकारी को हमारी वेबसाइट <https://orientalinsurance.org.in> के भर्ती खंड को नियमित रूप से देखना होगा। जिन अधिकारीयों ने प्रशिक्षण को चुना है, उन्हें पंजीकृत ईमेल/मोबाइल पर प्रशिक्षण की तिथि और स्थान के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। कृपया नोट करें कि केवल परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण में शामिल होने से किसी भी अधिकारी को कंपनी में नौकरी पाने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। अधिकारीयों को अपने खर्च पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण में उपस्थित होना होगा।

#### 10. आवेदन कैसे करें

निम्न हेतु विस्तृत दिशानिर्देश/प्रक्रियाएं:

- ए. आवेदन पंजीकरण
- बी. शुल्क का भुगतान
- सी. दस्तावेज स्कैन और अपलोड करें

अधिकारी 01 दिसंबर, 2025 से 15 दिसंबर, 2025 (दोनों तिथियां शामिल हैं) तक केवल ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं और आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

#### पंजीकरण से पहले ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें

ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व, अधिकारीयों को चाहिए-

##### (i) निम्न स्कैन करें :

- अपनी फोटोग्राफ (4.5 सेमी × 3.5 सेमी)
- अपने हस्ताक्षर (काली स्याही से)
- अपने बाएं अंगूठे का निशान (सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से) (अगर किसी अधिकारी के बाएं अंगूठे का निशान नहीं है, तो वह अपने दाएं अंगूठे का उपयोग कर सकता है। अगर दोनों अंगूठे नहीं हैं, तो बाएं हाथ की किसी एक उंगली का निशान, पहली उंगली से शुरू करके लेना चाहिए। अगर बाएं हाथ में कोई उंगली नहीं है, तो दाएं हाथ की किसी एक उंगली का निशान, पहली उंगली से शुरू करके लेना चाहिए। अगर कोई उंगली नहीं है, तो बाएं पैर के अंगूठे का निशान लिया जा सकता है। ऐसे सभी मामलों में जहां बाएं अंगूठे का निशान अपलोड नहीं किया गया है, अधिकारी को अपलोड किए गए दस्तावेजों में उंगली का नाम और बाएं/दाएं हाथ या पैर के अंगूठे की विशेषता बतानी चाहिए।)
- अपने हाथ से लिखी हुई घोषणा (सफेद कागज पर काली स्याही से) (विषय नीचे दिया गया है) (हाथ से लिखी हुई घोषणा अधिकारी के हाथ से और सिर्फ अंग्रेजी में होनी चाहिए। अगर इसे किसी और ने लिखा है और अपलोड किया है या किसी दूसरी भाषा में है, तो आवेदन अवैद्य माना जाएगा। (जो अधिकारी लिख नहीं सकते, वे घोषणा का विषय टाइप करवा सकते हैं और टाइप किए गए घोषणा के नीचे अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान (अगर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते) लगा सकते हैं और बताए गए तरीके से दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।) यह सुनिश्चित करें कि ये सभी स्कैन किए गए दस्तावेज ज़रूरी विशेषताओं के हिसाब से हों। खंड में आगे दिया गया है।

##### (ii) हस्ताक्षर बड़े अक्षरों में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(iii) बाएं अंगूठे का निशान ठीक से स्कैन होना चाहिए और धुंधला नहीं होना चाहिए।

(iv) हाथ से लिखी गई घोषणा का विषय इस तरह है –

“मैं, \_\_\_\_\_ (अधिकारी का नाम), यह घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन फॉर्म में मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सही, सत्य और मान्य है। जब भी ज़रूरत होगी, मैं सहयोगी दस्तावेज दिखाऊंगा/दिखाऊंगी।”

(v) ऊपर बताया गया हाथ से लिखी हुई घोषणा अधिकारी के हाथ से लिखी हुई और सिर्फ अंग्रेजी में होनी चाहिए और बड़े अक्षरों में नहीं होनी चाहिए। अगर इसे किसी और ने या किसी दूसरी भाषा में लिखा और अपलोड किया है, तो आवेदन अवैद्य माना जाएगा।

(vi) आवश्यक आवेदन फीस/सूचना शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवश्यक विवरण/दस्तावेज तैयार रखें।

(vii) एक वैद्य व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक एक्टिव रखना चाहिए। सभी सरकारी पत्र व्यवहार अधिकारी की पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। किसी भी स्थिति में, अधिकारी को अपनी ईमेल आईडी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर किसी अधिकारी के पास वैद्य व्यक्तिगत ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी नई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बना लेना चाहिए और उस ईमेल अकाउंट और मोबाइल नंबर को बनाए रखना होगा।

## ए.आवेदन प्रक्रिया:

1. अभ्यर्थी कंपनी की वेबसाइट <https://orientalinsurance.org.in> पर जाएं। और "APPLY ONLINE" ऑप्शन पर क्लिक करें जिससे एक नई स्क्रीन खुल जाएगी।
2. "Click here for New Registration" टैब चुनें और नाम, संपर्क विवरण और ईमेल-आईडी डालें। सिस्टम एक अस्थायी पंजीकरण नंबर और पासवर्ड जेनरेट करेगा और जो स्क्रीन पर दिखेगा। अभ्यर्थी अस्थायी पंजीकरण नंबर और पासवर्ड नोट कर लें। अस्थायी पंजीकरण नंबर और पासवर्ड बताने वाला एक ईमेल और एसएमएस भी भेजा जाएगा।
3. अगर अभ्यर्थी एक बार में आवेदन फॉर्म पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वे "SAVE AND NEXT" टैब चुनकर पहले से भरा हुआ डेटा सुरक्षित कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए "SAVE AND NEXT" सुविधा का प्रयोग करें और आवश्यकता पड़ने पर उसमें बदलाव करें। जिन अभ्यर्थियों को कम दिखाई देता है, उन्हें आवेदन फॉर्म ध्यान से भरना चाहिए और अंतिम प्रस्तुतिकरण से पहले यह पक्का करने के लिए कि जानकारी सही है, उसे सत्यापित कर लेना चाहिए।
4. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरणों को ध्यानपूर्वक भरें और स्वयं सत्यापित करें क्योंकि **COMPLETE REGISTRATION BUTTON** पर क्लिक करने के बाद कोई परिवर्तन संभव/स्वीकार्य नहीं होगा।
5. अभ्यर्थी और उसके पिता/पति इत्यादि का नाम आवेदन में सही लिखा होना चाहिए और यह वैसा ही होना चाहिए जैसा प्रमाण पत्र/अंक तालिका और पहचान प्रमाण में लिखा है। कोई भी बदलाव/बदलाव होने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकता है।
6. "Validate your details" और "SAVE AND NEXT" बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन सुरक्षित करें।
7. क्रमांक "सी" के तहत फोटो और हस्ताक्षर की स्कैनिंग और अपलोड के लिए दिशानिर्देश में दिए गए विशेषताओं के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं।
8. अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म की अन्य विवरण भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
9. **COMPLETE REGISTRATION** से पहले पूरे आवेदन फॉर्म को पूर्वावलोकन और सत्यापित करने के लिए **Preview** टैब पर क्लिक करें।
10. अगर ज़रूरी हो, तो विवरण बदलें, और '**COMPLETE REGISTRATION**' पर तभी क्लिक करें जब यह सत्यापित और सुनिश्चित हो जाए कि फोटोग्राफ, हस्ताक्षर अपलोड हो गए हैं और आपके द्वारा भरे गए अन्य विवरण सही हैं।
11. '**Payment**' टैब पर क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें।
12. '**Submit**' बटन पर क्लिक करें।

## फीस का भुगतान (सिर्फ ऑनलाइन मोड में):

13. आवेदन फॉर्म भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है और भुगतान प्रक्रिया अनुदेशों का अनुपालन करके पूरा किया जा सकता है।
14. भुगतान डेबिट कार्ड ( RuPay /Visa/MasterCard/Maestro), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड/मोबाइल बैंलेट का इस्तेमाल करके किया जा सकता है।
15. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपनी भुगतान जानकारी सबमिट करने के बाद, कृपया सर्वर से जानकारी का इंतज़ार करें। डबल चार्ज से बचने के लिए बैंक या रिफ्रेश बटन न दबाएं।
16. ट्रांजैक्शन के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, एक ई-रसीद जेनरेट होगी।
17. 'ई-रसीद' न बनना भुगतान सफल दिखाता है। भुगतान फैल होने पर, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अस्थायी पंजीकरण नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके फिर से लॉगिन करें और भुगतान की प्रक्रिया दोहराएं।
18. अभ्यर्थियों को ई-रसीद और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लेना होगा, जिसमें फीस की जानकारी होगी। कृपया ध्यान दें कि अगर वही जेनरेट नहीं होता है तो हो सकता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सफल न हुआ हो।
19. क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए: सभी चार्ज भारतीय रूपये में सूचित हैं। अगर आप गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपका बैंक वर्तमान विनियम दरों के आधार पर आपकी स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित कर देगा।
20. अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद कृपया ब्राउज़र विंडो बंद कर दें।

21. फीस भुगतान के बाद फीस विवरण वाला आवेदन फॉर्म प्रिंट करने की सुविधा है।

### बी. दस्तावेज की स्कैनिंग और अपलोड के लिए दिशानिर्देश:

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थी को नीचे दी गई विशेषताओं के अनुसार अपनी फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन (डिजिटल) इमेज चाहिए होगी।

#### फोटोग्राफ इमेजः

- फोटोग्राफ हाल ही की पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो होनी चाहिए ।
- सुनिश्चित करें कि फोटो रंगीन हो और हल्के रंग के, बेहतर होगा कि सफेद, बैकग्राउंड पर ली गई हो।
- रिलैक्स्ट फेस के साथ सीधे कैमरे की ओर देखें
- अगर तस्वीर धूप वाले दिन ली गई है, तो सूरज को अपने पीछे रखें, या खुद को छाया में रखें, ताकि आपकी आँखें न झपकें और कोई तेज परछाई न हो।
- अगर आपको फ्लैश इस्तेमाल करना ही है, तो सुनिश्चित करें कि कोई "रेड-आई" न हो।
- अगर आप चश्मा पहनते हैं तो ध्यान रखें कि कोई परछाई न हो और आपकी आँखें साफ दिखें।
- कैप, हैट और काला चश्मा पहनना मना है। धार्मिक हेडवियर की अनुमति है, लेकिन उससे आपका चेहरा नहीं ढकना चाहिए।
- डाइमेशन 200 x 230 पिक्सल (पसंदीदा)
- फ़ाइल का आकार 20केबी-50 केबी के बीच होना चाहिए
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई फोटो का आकार 50केबी से ज्यादा न हो। अगर फ़ाइल का आकार 50 केबी से ज्यादा है, तो स्कैनिंग के दौरान स्कैनर की सेटिंग्स जैसे डीपीआई रिजॉल्यूशन, रंगों की संख्या इत्यादि को एडजस्ट करें।
- अगर फोटो की जगह फोटो अपलोड नहीं किया गया, तो परीक्षा के लिए प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी खुद जिम्मेदार होगा।
- अभ्यर्थी को यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि फोटो की जगह फोटो और हस्ताक्षर की जगह हस्ताक्षर अपलोड हो। अगर फोटो की जगह फोटो और हस्ताक्षर की जगह हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं किया गया, तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।
- अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड की जाने वाली फ़ोटो अपेक्षित आकार की हो और चेहरा साफ दिखना चाहिए।

#### हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हाथ से लिखी हुई घोषणा की फोटो:

- आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही वाले पेन से हस्ताक्षर करना होगा।
- आवेदक को एक सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से अपने बाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा।
- आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही से अंग्रेजी में साफ-साफ घोषणा लिखनी होगी।
- हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हाथ से लिखी हुई घोषणा अभ्यर्थी की होनी चाहिए, किसी और की नहीं।
- हस्ताक्षर का उपयोग कॉल लेटर पर और जहाँ भी आवश्यक होगा, वहाँ किया जाएगा।
- अगर परीक्षा के समय उपस्थिति शीट या कॉल लेटर पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं, तो आवेदक को अयोग्य कर दिया जाएगा।
- हस्ताक्षर / हाथ से लिखी हुई बड़े अक्षरों में घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी।

#### बाएं अंगूठे का निशान:

- आवेदक को एक सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से अपने बाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा।
- बाएं अंगूठे का निशान आवेदक का होना चाहिए, किसी और व्यक्ति का नहीं।
  - **फ़ाइल का प्रकार :** जेपीजी/ जेपीईजी
  - **डाइमेशन :** 200 डीपीआई में 240 x 240 पिक्सल (ज़रूरी क्लालिटी के लिए बेहतर) यानी 3 सें.मी. \* 3 सें.मी. (चौड़ाई \* ऊँचाई)
  - **फ़ाइल का आकार :** 20 केबी – 50 केबी

#### हाथ से लिखा हुआ घोषणापत्र:

- हाथ से लिखी हुई घोषणा उम्मीद के अनुसार होनी चाहिए।
- हाथ से लिखी हुई घोषणा **बड़े अक्षरों** में **नहीं** लिखी जानी चाहिए ।
- आवेदक को सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से अंग्रेजी में साफ-साफ घोषणा लिखनी होगी।
- हाथ से लिखी हुई घोषणा आवेदक की होनी चाहिए, किसी और का नहीं।
- हस्तलिखित घोषणा
  - **फ़ाइल टाइप :** जेपीजी/ जेपीईजी
  - **आयाम :** 200 डीपीआई में 800 x 400 पिक्सेल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए पसंदीदा) यानी 10 सें.मी. \* 5 सें.मी. (चौड़ाई \* ऊँचाई)

- **फाइल का आकार : 50 के बी - 100 के बी दस्तावेजों को स्कैन करना**
- स्कैनर का रिज़ॉल्यूशन कम से कम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें।
- कलर को सही कलर पर सेट करें।
- स्कैनर में इमेज को बाएं अंगूठे के निशान / हाथ से लिखे घोषणा के किनारे तक क्रॉप करें, फिर अपलोड एडिटर का इस्तेमाल करके इमेज को फ़ाइनल साइज़ (जैसा ऊपर बताया गया है) में क्रॉप करें।
- इमेज फ़ाइल जेपीही या जेपीईही फॉर्मेट में होनी चाहिए। एक उदाहरण फ़ाइल नाम है: image01.jpg या image01.jpeg
- इमेज के साइज़ को फ़ोल्डर फ़ाइलों की सूची बनाकर या फ़ाइल इमेज आइकन पर माउस ले जाकर चेक किया जा सकता है।
- MS Windows/MSOffice इस्तेमाल करने वाले अभ्यर्थी MS Paint या MSOffice Picture Manager का इस्तेमाल करके आसानी से .jpeg फॉर्मेट में दस्तावेज़ पा सकते हैं। किसी भी फॉर्मेट में स्कैन किए गए दस्तावेज़ को File मेन्यू में 'Save As' ऑप्शन का इस्तेमाल करके .jpg / .jpeg फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है। क्रॉप और फिर रिसाइज़ विकल्प का इस्तेमाल करके साइज़ को एडजस्ट किया जा सकता है।
- अगर फ़ाइल का साइज़ और फॉर्मेट बताए गए अनुसार नहीं है, तो एक एरर मैसेज दिखेगा।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को अपनी फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हाथ से लिखी हुई घोषणा अपलोड करने के लिए एक लिंक दिया जाएगा।

#### दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया:

- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को बाएं अंगूठे का निशान और हाथ से लिखी हुई घोषणा अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक दिए जाएंगे।
- संबंधित लिंक "बाएं अंगूठे का निशान / हाथ से लिखी घोषणा पत्र अपलोड करें" पर क्लिक करें।
- उस स्थान को ब्राउज़ करें और चुनें जहाँ स्कैन किया हुआ बाएं अंगूठे का निशान / हाथ से लिखी हुई घोषणा फ़ाइल सुरक्षित की गई है।
- फ़ाइल पर क्लिक करके उसे चुनें।
- 'ओपन/अपलोड' बटन पर क्लिक करें। आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक रजिस्टर नहीं होगा जब तक आप बताए गए तरीके से अपने बाएं अंगूठे का निशान और हाथ से लिखी हुआ घोषणा अपलोड नहीं करते।
- अगर फ़ाइल का साइज़ और फॉर्मेट बताए गए अनुसार नहीं है, तो एक एरर मैसेज दिखेगा।
- अपलोड की गई इमेज का प्रीव्यू इमेज की कालिटी देखने में मदद करेगा। अगर इमेज साफ़ नहीं है / धुंधली है, तो उसे अपेक्षित क्लैरिटी / कालिटी के साथ दोबारा अपलोड किया जा सकता है।

#### टिप्पणी:

- (1) अगर बाएं अंगूठे का निशान या हाथ से लिखा हुआ घोषणा साफ़ नहीं है या धुंधली है, तो अभ्यर्थी का आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- (2) ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में बाएं अंगूठे का निशान / हाथ से लिखी घोषणा अपलोड करने के बाद, अभ्यर्थी को यह चेक कर लेना चाहिए कि इमेज साफ़ हैं और सही तरीके से अपलोड की गई हैं। अगर बाएं अंगूठे का निशान या हाथ से लिखी घोषणा साफ़ नहीं दिख रहा है, तो अभ्यर्थी अपना आवेदन एडिट कर सकता है और फॉर्म जमा करने से पहले अपने अंगूठे का निशान / हाथ से लिखी घोषणा को फिर से अपलोड कर सकता है।
- (3) ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सिस्टम से जेनरेट हुए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट ले लें।

**नोट:** कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी जानकारी, जैसे अभ्यर्थी का नाम, संवर्ग, जन्म की तारीख, पता, मौबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परीक्षा का केन्द्र, इत्यादि, को फाइनल माना जाएगा और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद कोई बदलाव/संशोधन नहीं किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म बहुत ध्यान से भरें क्योंकि जानकारी में बदलाव के बारे में कोई पत्रव्यवहार नहीं किया जाएगा। आवेदन में गलत और/या अधूरी जानकारी देने या आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी न देने से होने वाले किसी भी नतीजे के लिए कंपनी ज़िम्मेदार नहीं होगी।

अगर ऑनलाइन आवेदन किसी भी तरह से अधूरा है, जैसे कि सही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपलोड किया गया हाथ से लिखी घोषणा/फ्रीस/इंटीमेशन चार्ज का भुगतान नहीं हुआ है, तो उसे वैद्य नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उनके लिए बेहतर होगा कि वे आखिरी तारीख से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन करें और फ्रीस/इंटीमेशन चार्ज जमा करने के लिए आखिरी तारीख तक इंतज़ार न करें, ताकि इंटरनेट पर ज़्यादा लोड/वेबसाइट जाम होने की वजह से डिस्कनेक्शन/इनएबिलिटी/लॉग ऑन न कर पाने की संभावना से बचा जा सके। अगर अभ्यर्थी ऊपरोक्त कारणों या किसी और कारण से आखिरी तारीख तक अपना आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं, तो कंपनी इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेती है। कृपया ध्यान दें कि आवेदन करने के लिए उपरोक्त तरीका ही एकमात्र वैद्य तरीका है। आवेदन का कोई और तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधूरा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी व्यक्तिगत रूप से बाध्य होगी और उसके द्वारा दी गई जानकारी

या विवरण बाद में किसी भी चरण में गलत पाए जाने पर उस पर अभियोजन/सिविल कार्रवाई की जा सकती है।

### कॉल लेटर डाउनलोड करना

ऑनलाइन परीक्षा (चरण- I और II के लिए अलग-अलग) और साक्षात्कार दोनों के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाईट <https://orientalininsurance.org.in> पर जाना होगा। कॉल लेटर डाउनलोड करने की सूचना ईमेल/एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी। एक बार जब अभ्यर्थी संबंधित लिंक पर क्लिक करता है, तो वह कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए विंडो तक पहुंच सकता है। अभ्यर्थी को कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए (i) पंजीकरण संख्या/रोल नंबर, (ii) पासवर्ड/जन्म तिथि का उपयोग करना होगा। अभ्यर्थी को कॉल लेटर पर हाल ही की पहचान योग्य फोटो, अधिमानतः पंजीकरण के दौरान दी गई फोटो ही चिपकानी होगी और परीक्षा केंद्र पर (i) कॉल लेटर (ii) मूल फोटो पहचान प्रमाण जैसा कि पहले पहचान सत्यापन के तहत निर्धारित किया गया था और कॉल लेटर में भी निर्दिष्ट किया गया है और (iii) उसी फोटो पहचान प्रमाण की वास्तविक फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना होगा।

### 11. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई

अभ्यर्थियों को उनके हित में यह निर्देश दिया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय कोई भी झूठी, छेड़छाड़ की हुई या मनगढ़त जानकारी न दें और कोई भी आवश्यक जानकारी न छिपाएं।

ऑनलाइन परीक्षा, साक्षात्कार या बाद के चयन प्रक्रिया के समय, अगर कोई अभ्यर्थी इन चीजों का दोषी पाया जाता है (या पाया गया है):

i) अनुचित साधनों का उपयोग करना या

ii) (ii) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करना या प्रतिरूपण करवाना या (iii) परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में दुर्व्यवहार करना या परीक्षण(ओं) की सामग्री या किसी भी जानकारी को पूरी तरह या उसके किसी भाग को, किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी भी उद्देश्य के लिए प्रकट करना, प्रकाशित करना, पुनः उत्पादित करना, प्रसारित करना, संग्रहीत करना या प्रसारण और भंडारण की सुविधा प्रदान करना या (iv) अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में कोई अनियमित या अनुचित तरीका अपनाना या (v) किसी अनुचित तरीके से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करना या (vi) परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन या सचार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना, तो ऐसा अभ्यर्थी खुद को आपराधिक मुकदमा चलाने के अलावा निम्न के लिए उत्तरदायी बन सकता है:

ए) जिस परीक्षा के लिए वह अभ्यर्थी है, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

बी) ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से, हमेशा के लिए या एक तय समय के लिए, वंचित किया जाएगा।

सी) सेवाएं समाप्त करने के लिए, अगर वह पहले ही कंपनी (ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) में कार्यभार संभाल चुका है।

### 12. एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी के लिए विशेष निर्देश

एससी/एसटी /ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (जैसा कि भारत सरकार समय-समय पर अधिसूचित करती है):

i.जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिएटी कमिश्नर / अतिरिक्त डिएटी कमिश्नर / डिएटी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं) / तालुक मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (i)मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(ii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे नहीं

(iii) उस क्षेत्र का सब-डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

जहां तक तमिलनाडु के अनुसूचित जनजाति समुदायों का संबंध है, तहसीलदार के बदले राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा।

**नोट:** जिस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, वहां के संबंधित अधिकारियों से वास्तविक जाति वैधता प्रमाण पत्र (जहां लागू हो) और उसकी स्वयं सत्यापित फोटोस्टेट कॉपी साक्षात्कार के समय जमा करनी होगी।

ii) ओबीसी के तौर पर आरक्षण चाहने वाले अभ्यर्थियों को अपने “ओबीसी स्टेट्स और नॉन-क्रीमी लेयर स्टेट्स” के बारे में एक प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जो समय-समय पर संशोधित डीओपीटी ओएम नं.. 36012/22/93-Estt.(SCT) दिनांक 15/11/1993 में बताए गए प्राधिकारी से जारी किया गया हो, प्रमाणपत्र में (जैसा कि समय-समय पर संशोधित) डीओपीटी ओएम नं. 36012/22/93-Estt . (SCT) दिनांक 08/09/1993 के अनुसूची के कॉलम 3 के अनुसार “नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज़” होना चाहिए। प्रमाण पत्र पिछले तीन वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2022-22, 2023-24 और 2024-25 की आय पर आधारित होना चाहिए (और 31/03/2025 के बाद जारी किया गया होना चाहिए)। इसके बिना अभ्यर्थी को साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाण पत्र के अलावा नीचे

दिए गए फॉर्मेट में एक घोषणा भी जमा करनी होगी:

“मैं \_\_\_\_\_ श्री \_\_\_\_\_ का पुत्र/पुत्री\_ गाँव/कस्बे/शहर का निवासी\_ जिला\_ राज्य एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं \_\_\_\_\_ समुदाय से हूँ जिसे भारत सरकार ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय ज्ञापन नंबर 36012/22/93-Estt.(SCT) दिनांक 08/09/1993 में समय-समय पर संशोधित किए गए नियमों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के लिए पिछ़ा वर्ग माना है, जिसे यह भी घोषित किया जाता है कि मैं ऊपर बताए गए समय-समय पर संशोधित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8-9-1993 के अनुसूची के कॉलम 3 में बताए गए लोगों/खंडों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ।”

प्रमाण पत्र में दिया गया जाति का नाम केन्द्रीय सरकारी सूची / अधिसूचना से अक्षरशः मेल खाना चाहिए। जो अभ्यर्थी ओबीसी संवर्ग के हैं लेकिन क्रीमी लेयर में आते हैं और/या जिनकी जाति केन्द्रीय सूची में नहीं है, वे ओबीसी आरक्षण के पात्र नहीं हैं।

iii) बेंचमार्क दिव्यांग लोगों के लिए, प्रमाणित करने वाला प्राधिकृत प्राधिकारी जिला स्तर पर चिकित्सीय बोर्ड का होगा, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिले का उप-मंडलीय चिकित्सा अधिकारी तथा एक ऑर्थोपेडिक / ऑप्टैल्मिक / ईएनटी सर्जन या उपर्युक्त प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी के रूप में नामित कोई भी व्यक्ति शामिल होगा।

iv) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों के संबंध में (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए अनुसार) आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी:

(i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिएटी कमिश्नर / अतिरिक्त डिएटी कमिश्नर / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यालयी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त,

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट,

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे नहीं हो और

13. उप-विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और / या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है। आय में सभी स्रोतों जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय शामिल होगी और यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आय होगी। प्रमाण पत्र 31/03/2025 के बाद जारी किया जाना चाहिए। साक्षात्कार इत्यादि के समय जमा किए जाने वाले प्रमाण पत्र (एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी, इडब्ल्यूएस, एक्स-सर्विसमैन) के निर्धारित फॉर्मेट के लिए कृपया परिशिष्ट देखें। इन संवर्ग के अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि केवल इन्हीं फॉर्मेट में ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

#### 14. सामान्य जानकारी

- अभ्यर्थियों को परीक्षाओं (प्राथमिक और मुख्य) और साक्षात्कार के समय अपेक्षित दस्तावेज जैसे वैद्य कॉल लेटर, ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन फॉर्म पर दिखाई देने वाले नाम वाला वास्तविक फोटो पहचान प्रमाण तथा उसकी फोटोकॉपी दिखाने और जमा करने होंगे।
- परीक्षा के प्रशासन में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों की संभावना से पूरी तरह इनकार करता है, जिससे परीक्षा करवाने और/या परिणाम निकालने पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में, कठिनाईयों को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को दूसरे केन्द्र पर शिफ्ट करना या अगर ज़रूरी समझा गया तो दूसरी परीक्षा कराना शामिल हो सकता है। इस बारे में कंपनी का फैसला आखिरी होगा। जो अभ्यर्थी ऐसा बदलाव नहीं मानना चाहते, वे इस परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता खो देंगे।
- भर्ती से जुड़े सभी मामलों में कंपनी का फैसला आखिरी होगा और अभ्यर्थियों को मानना होगा। इस बारे में कोई भी पत्र व्यवहार या व्यक्तिगत रूप से पूछताछ नहीं की जाएगी।
- अगर परीक्षा एक से अधिक स्रोतों में होती है, तो अलग-अलग सत्र के अंकों को बराबर किया जाएगा ताकि अलग-अलग सत्र में इस्तेमाल होने वाली अलग-अलग टेस्ट बैटरी के मुश्किल लेवल में थोड़े अंतर को एडजस्ट किया जा सके। अगर नोड्स क्षमता कम है या किसी केन्द्र पर या किसी अभ्यर्थी के लिए कोई तकनीकी परेशानी आती है, तो एक से ज़्यादा स्रोतों की आवश्यकता हो सकती है।
- अलग-अलग अभ्यर्थियों के जवाबों (उत्तरों) को विश्लेषित किया जाएगा और दूसरे अभ्यर्थियों के जवाबों से मिलान किया जाएगा ताकि सही और गलत जवाबों में एक जैसे तरीके का पता लगाया जा सके। अगर इस बारे में अपनाए गए विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में यह परिणाम निकलता है कि अगर जवाब नकल किए गए हैं और मिले अंक सही/वैद्य नहीं हैं, तो कंपनी संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द करने का अधिकार रखती है और ऐसे अभ्यर्थियों (अयोग्य) का परिणाम रोक लिया जाएगा।
- चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण पर अगर अभ्यर्थी गलत जानकारी देता है और/या प्रक्रिया का उल्लंघन करता है, तो अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से अयोग्य कर दिया जाएगा और उसे भविष्य में किसी भी एनआईसीएल (ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। अगर ऐसे मामलों का पता मौजूदा चयन प्रक्रिया के दौरान नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलते हैं, तो ऐसी अयोग्यता संबद्ध पूर्व प्रभावी तारीख से लागू होगी।
- ऑनलाइन परीक्षा (प्राथमिक और मुख्य) और/या साक्षात्कार की तारीख, समय और स्थान बदलने का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी बदलने का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय, आवेदक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह निर्दिष्ट तिथियों में वर्णित उपरोक्त

पात्रता और अन्य नियमों को पूरा करता है और उसके द्वारा भरा गया वर्णन हर तरह से सही है। अगर भर्ती के किसी भी चरण पर यह पता चलता है कि कोई अभ्यर्थी पात्रता नियमों को पूरा नहीं करता है और/या उसने कोई गलत/झूठी जानकारी दी है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए हैं, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। अगर नियुक्ति के बाद भी इनमें से कोई भी कमी पाई जाती है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

- अभ्यर्थियों को उनके हित में यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अंतिम तिथि से पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर दें ताकि इंटरनेट पर ज्यादा लोड या वेबसाइट जाम होने की वजह से वेबसाइट पर लॉग ऑन कर पाने/डिस्कनेक्ट होने/फेल होने की संभावना से बचा जा सके।
- अगर अभ्यर्थी किसी भी वजह से आखिरी तारीख तक अपनी आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं, तो कंपनी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है।
- आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे खुद ऑनलाइन रजिस्टर करें और चयन प्रक्रिया के दौरान अपनी ई-मेल आईडी सक्रिय रखें। अभ्यर्थियों को कंपनी से एसएमएस सर्विस के लिए आवेदन फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर देना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर सुरक्षित रखने हैं। प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रहें।
- सूचना केवल ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ईमेल और/या एसएमएस से भेजी जाएगी। अगर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में बदलाव, तकनीकी खराबी या किसी और वजह से, जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हो, जानकारी/जानकारी अभ्यर्थी तक नहीं पहुँचती है, तो कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि चयन प्रक्रिया के दौरान अद्यतन जानकारी समय-समय पर अपने पंजीकृत ई-मेल खाते की जांच के लिए हमारी वेबसाईट <https://orientalinsurance.org.in> के निरंतर संपर्क में रहें।
- अभ्यर्थियों का चुनाव ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। कंपनी के पास जब भी जरूरी समझे, कोई अन्य परीक्षा कराने या कोई भी केन्द्र को जोड़ने, हटाने या आंबेटित करने का अधिकार सुरक्षित है।
- ऑनलाइन परीक्षा में प्रवेश पूरी तरह से अस्थायी होगा, जिसमें अभ्यर्थियों की आयु/ योग्यता / संवर्ग (एससी/एसटी /ओबीसी / पीडब्ल्यूबीडी / इडब्ल्यूएस/एक्सएस) इत्यादि का दस्तावेज के साथ सत्यापन नहीं किया जाएगा।
- किसी भी अभ्यर्थी को एक से ज्यादा आवेदन जमा नहीं करनी चाहिए। एक से ज्यादा आवेदन होने पर, सिर्फ सबसे नया वैद्य (पूरा हुआ) आवेदन ही रखा जाएगा और दूसरे कई पंजीकरण के लिए दिया गया आवेदन फीस/इंटिमेशन चार्ज ज़ब्त हो जाएगा।
- ऑनलाइन परीक्षा और/या साक्षात्कार में एक से ज्यादा बार आने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- एक बार रजिस्टर हो जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन वापस नहीं लिए जाएँगे और/या भुगतान की गई आवेदन फीस/इंटिमेशन चार्ज वापस नहीं किए जाएँगे और न ही किसी दूसरी परीक्षा के लिए रिज़र्व रखे जाएँगे।
- अभ्यर्थी को सिर्फ किसी एक विषय के लिए आवेदन करना चाहिए। एक से ज्यादा विषय के लिए किए गए आवेदन करने पर अभ्यर्थिता अवैद्य हो जाएगी।
- साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय उम्र/योग्यता/संवर्ग इत्यादि से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे। एससी/एसटी /ओबीसी के तौर पर आरक्षण चाहने वाले अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र के साथ जाति वैद्यता प्रमाण पत्र (जहां लागू हो) भी सक्षम प्राधिकरण से निर्धारित प्रोफॉर्म में जमा करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी की जाति, वह अधिनियम/आदेश जिसके तहत जाति को एससी/एसटी/ओबीसी माना गया है और वह गांव/शहर जहां का अभ्यर्थी असल में रहने वाला है, यह साफ-साफ लिखा होना चाहिए।
- किसी भी चरण पर अगर जाति प्रमाण पत्र में कोई गलत जानकारी मिलती है, तो अभ्यर्थिता स्वतः रद्द हो जाएगी।
- सरकारी / अर्ध सरकारी ऑफिस, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल हैं, में काम करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से 'अनापति प्रमाण पत्र' जमा करना होगा, ऐसा न करने पर उनके अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा और अगर कोई पारवहन खर्चा है, तो वह नहीं दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी चुने जाते हैं, उन्हें कंपनी कार्यभार संभालते समय अपने नियोक्ता (सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र/ निजी) से डिस्चार्ज लेटर / रिलीविंग लेटर जमा करना होगा, जिसके बिना उन्हें कार्यभार नहीं संभालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- अभ्यर्थियों को परीक्षा अपने खर्चे पर देनी होगी। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को, यात्रा का प्रमाण रेल/बस टिकट/सीट इत्यादि दिखाने पर, अपने घर से सबसे छोटे रास्ते से आने-जाने के लिए स्टीपर क्लास का रेलवे किराया/बस किराया मिलेगा।
- अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके हस्ताक्षर सभी जगहों पर, जैसे उसके कॉल लेटर, अटेंडेंस शीट इत्यादि में और भविष्य में कंपनी के साथ सभी पत्रव्यवहार में एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर स्वीकृत नहीं होंगे।
- यदि चयन प्रक्रिया या नियुक्ति के बाद के चरण में, विशेषज्ञ विश्लेषक के द्वारा, अभ्यर्थी के हाथ से लिखे घोषणा पर लिखावट अलग/अलग पाई जाती है, तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपने हाल की, पहचानी जा सकने वाली फोटो (4.5सें.मी. × 3.5सें.मी.) अपलोड करनी होगी और अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रक्रिया के अलग-अलग चरण पर इस्तेमाल के लिए उसकी कॉपी रखी जाए। अभ्यर्थी को यह भी सलाह दी जाती है कि प्रक्रिया पूरा होने तक वे अपना लुक न बदलें। प्रक्रिया के अलग-अलग चरण पर वही फोटो न दिखाने या किसी भी चरण पर पहचान पर शक होने पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- अभ्यर्थियों को इस विज्ञापन में दिए गए परीक्षा के सामाजिक दूरी बनाने के बारे में सभी दिशानिर्देश को मानना होगा। किसी भी तरह का उल्लंघन करने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- चुने गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति कंपनी की ज़रूरतों के हिसाब से उनके चिकित्सीय रूप से स्वस्थ पाए जाने पर निर्भर करेगा। ऐसी नियुक्ति कंपनी के सेवा एवं आचरण नियम के भी अधीन होगी।
- योग्यता, ऑनलाइन परीक्षा, अन्य परीक्षा, साक्षात्कार और चयन से जुड़े सभी मामलों में कंपनी का निर्णय आखिरी होगा और सभी

अभ्यर्थियों को मानना होगा। इस बारे में कंपनी कोई प्रत्यावेदन या पत्रव्यवहार स्वीकार नहीं करेगी।

- कंपनी किसी भी अभ्यर्थी को शुरुआती तैनाती की जगह पर 5 साल का समय खत्म होने से पहले भी भारत में कहीं भी स्थानांतरण करने का अधिकार रखती है।
- इस विज्ञापन और/या इसके जवाब में किसी आवेदन से होने वाले किसी भी दावे या विवाद के मामले में कोई भी कानूनी कार्रवाई सिर्फ़ कोलकाता में ही की जा सकती है। किसी भी मामले/विवाद पर सुनवाई का पूरा अधिकार सिर्फ़ कोलकाता के कोर्ट/ट्रिब्यूनल/फोरम के पास होगा।
- चुने गए अभ्यर्थी कंपनी के लागू सेवा विनियमों के नियम और शर्तें मानेंगे।
- परीक्षा/साक्षात्कार में अभ्यर्थी की प्रविष्टि पूरी तरह से अस्थायी है। केवल इसलिए कि अभ्यर्थी को कॉल लेटर दे दिया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी ने उसकी अभ्यर्थिता अंतिम रूप से स्पष्ट कर दी है।
- परीक्षा केन्द्र के अंदर ये चीजें ले जाने की अनुमति नहीं है :

ए) कोई भी स्टेशनरी आइटम जैसे पाठ सामग्री (प्रिंटेड या लिखा हुआ), कागज़ के टुकड़े, ज्योमेट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन/स्कैनर इत्यादि।

बी) कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे ब्लूटूथ, इयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्प बैंड इत्यादि। दूसरी चीजें जैसे गॉगल्स, हैंडबैग, हैंपर-पिन, हेयर-बैंड, बेल्ट, कैप इत्यादि।

सी) सभी गहने जैसे अंगूठी, झुमके, नोजपिन, चेन/नेकलेस, पेंडेंट, बैज, ब्रोच इत्यादि की अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए।

डी) कोई भी घड़ी/कलाई घड़ी, कैमरा, इत्यादि।

ई) कोई भी धातु की वस्तु

एफ) कोई भी खाने की चीज़ खुली या पैक की हुई

जी) कोई भी दूसरी चीज़ जिसका इस्तेमाल गलत तरीके से कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस इत्यादि छिपाने के लिए किया जा सकता है।

इन निर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें भविष्य में होने वाली परीक्षा में मनाही और पुलिस शिकायत शामिल है। अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की जगह पर कोई भी निषिध चीज़ न लाएँ, क्योंकि उनको सुरक्षित रखने का कोई पक्का प्रबंध नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन परीक्षा करने वाली कोई भी एजेंसी किसी भी चीज़ के खो जाने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगी। इनको सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी अभ्यर्थियों के खर्च पर या नो कॉस्ट पर होगी।

- कंपनी ऊपर दी गई भर्ती प्रक्रिया को प्रक्रिया के किसी भी चरण पर बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार रखती है।
- चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण पर अगर अभ्यर्थी गलत जानकारी देता है और/या प्रक्रिया का उल्लंघन करता है, तो अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से अयोग्य कर दिया जाएगा और उसे भविष्य में किसी भी चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। अगर ऐसे मामलों का मौजूदा चयन प्रक्रिया के दौरान पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलते हैं, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वभावी तिथि से प्रभावित होगी।

**किसी भी तरह का मतभेद पाए जाने पर हमारी वेबसाइट <https://orientalinsurance.org.in> के भर्ती खंड में प्रकाशित विस्तृत विज्ञापन का अंग्रेजी रूपांतरण अंतिम होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन करने और भर्ती प्रक्रिया पर आगे के अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट के भर्ती अनुभाग पर जाएं।**

**किसी भी तरह का प्रचार करना अयोग्यता मानी जाएगी।**

**दिनांक: 01.12.2025**

**उप महाप्रबंधक  
मानव संसाधन विभाग**

अनु.जाति या अनु.जनजाति के अभ्यार्थी द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री\* \_\_\_\_\_ सुपुत्र/सुपुत्री \_\_\_\_\_ गांव/शहर \_\_\_\_\_ जिला/मंडल\* \_\_\_\_\_ राज्य/केन्द्र शासित\* \_\_\_\_\_ है, जिसे निम्न के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के रूप में माना जाता है:

\* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 ;

\* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 ;

\* संविधान (अनुसूचित जाति) (केन्द्र शासित) आदेश, 1951 ;

\* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (केन्द्र शासित) आदेश, 1951 ;

जैसा कि (अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की सूची संशोधन) आदेश, 1956; मुम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर-पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, संविधान (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित किया गया है:

\* संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 ;

\* संविधान (अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित

जनजाति आदेश, 1959; अनुसूचित जाति व अनुसूचित

जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित

\* संविधान (दादरा-नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 ;

\* संविधान (दादर-नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 ;

\* संविधान (पॉंडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964;

\* संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967;

\* संविधान (गोवा, दमन दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 ;

\* संविधान (गोवा, दमन दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 ;

\* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 ;

\* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 ;

\* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 ;

\* संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 ;

\* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990;

\* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991 ;

\* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 ;

\* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996.

## संदर्भ सं. ओआईसीएस/भर्ता/सीधी/2025/प्र.अ.-।

:: 2 ::

# 2. उन अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर लागू है, जो एक राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश से माइग्रेट हुए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमति/कुमारी \_\_\_\_\_ माता/पिता श्री/श्रीमति/कुमारी \_\_\_\_\_ गांव/शहर  
जोकि जिला/मंडल\* \_\_\_\_\_ के राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश\* \_\_\_\_\_ में \*  
\_\_\_\_\_ जाति/जनजाति से संबंध रखते हैं, जो दिनांक \_\_\_\_\_ के आदेश से  
[प्राधिकरण का नाम] के द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में अनुसूचित  
जाति/जनजाति के आधार पर जारी किया गया है।

3. श्री/श्रीमति/कुमारी\* \_\_\_\_\_ और/या\* उसके\* परिवारिक सदस्य(यों) सामान्यतः  
\_\_\_\_\_ राज्य/केन्द्र शासित राज्य\* के \_\_\_\_\_ जिला/मंडल\* के \_\_\_\_\_  
गांव/शहर में सामान्यतः रहते हैं।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

राज्य/संघ  
शासित क्षेत्र के  
कार्यालय की  
मुहर सहित]

स्थान :

दिनांक :

नोट: यहां पर प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः रहते हैं" का अभिप्राय लोक अधिनियम, 1950 के अध्यावेदन के खंड 20 के अनुसार होगा।

\* कृपया उन शब्दों को हटाएं जो लागू नहीं हैं।

# पैराग्राफ को हटाएं जो लागू नहीं है।

जाति/जनजाति प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारियों की सूची :

1. जिला न्यायाधीश / अतिरिक्त जिला न्यायाधीश / जिलाधीश / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / उप-जिलाधीश/ श्रेणी । वैतनिक न्यायाधीश / उप-मंडलीय न्यायाधीश / अतिरिक्त सहा.आयुक्त / तालुका न्यायाधीश / कार्यकारी न्यायाधीश ।
2. मुख्य प्रेसीडेंसी न्यायाधीश / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी न्यायाधीश / प्रेसीडेंसी न्यायाधीश।
3. तहसीलदार से ऊपर की श्रेणी के राजस्व अधिकारी।
4. उस क्षेत्र के उप-मंडलीय अधिकारी जहां पर अभ्यार्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

**भारत सरकार के अंतर्गत पदों की नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए,  
अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी ..... सुपत्र/सुपत्री श्री/श्रीमति  
..... जो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश ..... में जिला/डिवीजन  
..... में गांव/शहर ..... के ..... समुदाय से संबंध  
रखता/रखती है जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण विनियम सं. ..... के अंतर्गत पिछड़ी श्रेणी के रूप में  
जाने जाते हैं। ..... दिनांकित .....\*. श्री/श्रीमति/कुमार ..... और/या उसका परिवार राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश  
..... के जिला/डिवीजन ..... में सामान्यतः रहता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत  
सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ओ.एम.सं. 36012/22/93 - स्था.(एससीटी) दिनांक 08.09.1993\*\* की अनुसूची के कॉलम 3 में वर्णित किए गए  
व्यक्तियों/खंडों (क्रीमी लेयर) से संबंध नहीं रखता है।

जिला न्यायाधीश  
उपायुक्त इत्यादि

दिनांक:

मुहर

---

\*- प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का ब्लौरा देना होगा जिसमें ओबीसी के रूप में अभ्यार्थी की जाति बताई गई है।

\*\*- समय-समय पर संशोधनानुसार।

नोट:- नोट: यहां पर प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का अभिप्राय लोक अधिनियम, 1950 के अभ्यावेदन के खंड 20 के अनुसार होगा।

फार्म-॥

विकलांगता प्रमाण पत्र

(अंग-विच्छेदन या अंगों का पूर्ण स्थायी पक्षाधान की स्थिति में तथा नेत्रहीनता की स्थिति में)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सकीय प्राधिकारी का नाम व पता)

वर्तमान पासपोर्ट साईज

सत्यापित

अयोग्य व्यक्ति का फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखाकर)

प्रमाण पत्र नं.

दिनांक :

यह सत्यापित किया जाता है कि मेरे द्वारा सावधानी पूर्वक जांचा गया है:

श्री/श्रीमति/कुमारी \_\_\_\_\_ जिसकी फोटोग्राफ पुत्र/पत्नी /पुत्री \_\_\_\_\_  
श्री \_\_\_\_\_ जन्म तिथि (दिन / माह / वर्ष) \_\_\_\_\_ आयु \_\_\_\_\_ वर्ष, पुरुष/महिला रजिस्ट्रेशन नं..  
\_\_\_\_\_  
मकान नं. \_\_\_\_\_ निवासी, वार्ड/गांव/गली \_\_\_\_\_  
पोस्ट ऑफिस \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, का स्थायी निवासी है तथा संतुष्ट हूँ कि:

(1) यह निम्न का मामला है :

□ लोकोमोटर अयोग्यता □ नेत्रहीनता □

(कृपया लागू के रूप में चिन्हित करें)

(2) इनके मामले में रोग-निदान है \_\_\_\_\_

(क) दिशानिर्देशों (विनिर्दिष्ट किए जाने) के अनुसार उसके \_\_\_\_\_ (शरीर के अंग) के संबंध में, उसका स्थायी शारीरिक हानि/नेत्रहीनता का % (अंकों में) \_\_\_\_\_ % (शब्दों में) है।

2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सकीय प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान, जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

संदर्भ सं. ओआईसीएस/भर्ती/सीधी/2025/प्र.अ.-।

**फार्म - III**

विकलांगता प्रमाण पत्र  
(विभिन्न अयोग्यताओं की स्थिति में)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले विकित्सकीय प्राधिकारी का नाम व पता)

वर्तमान पासपोर्ट साइज  
सत्यापित

अयोग्य व्यक्ति का फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखाकर)

प्रमाण पत्र नं.

दिनांक :

यह सत्यापित किया जाता है कि मेरे द्वारा सावधानी पूर्वक जांचा गया है

श्री/श्रीमति/कुमारी \_\_\_\_\_ जिसकी फोटोग्राफ ऊपर लगाई गई है पुत्र/पत्नी /पुत्री श्री \_\_\_\_\_  
जन्म तिथि (दिन / माह / वर्ष) \_\_\_\_\_ आयु \_\_\_\_\_ वर्ष, पुरुष/महिला  
रजिस्ट्रेशन नं. \_\_\_\_\_ मकान नं. \_\_\_\_\_ निवासी, वार्ड/गांव/गाली  
पोस्ट ऑफिस \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, तथा संतुष्ट हूँ कि:

**(1)** वह विभिन्न अयोग्यताओं वाला केस है। उसकी स्थायी शारीरिक हानि/अयोग्यता की सीमा को, नीचे तालिका में संबंधित अयोग्यता के सामने दर्शायी गई तथा नीचे चिह्नित अयोग्यताओं के लिए दिशानिर्देशों (विनिर्दिष्ट किया जाए) के अनुसार मूल्यांकित किया गया है:

क्र.सं.	अयोग्यता	शरीर का प्रभावित भाग	रोग निदान	स्थायी शारीरिक हानि/शारीरिक अयोग्यता (% में)
1	लोकोमोटर अयोग्यता	@		
2	कम दृष्टि	#		
3	नेत्रहीनता	दोनों आंखें		
4	बहरापन	£		
5	मानसिक रूप से अशक्त	×		
6	मानसिक बीमारी	×		

**(2)** उक्त के संदर्भ में, दिशानिर्देशों के अनुसार, उसका/उसकी संपूर्ण स्थायी शारीरिक हानि, निम्न प्रकार से है:-

अंकों में :- \_\_\_\_\_ प्रतिशत

शब्दों में :- \_\_\_\_\_ प्रतिशत

- यह स्थिति प्रोग्रेसिव गैर-प्रोग्रेसिव हैं/सुधार की संभावना है/सुधार की संभावना नहीं है।
- अयोग्यता का पुनर्निर्धारण : (i) आवश्यक नहीं है,

या

(ii) \_\_\_\_\_ माह \_\_\_\_\_ वर्षों के पश्चात् सिफारिश की जाती है व इसी लिए यह प्रमाण पत्र \_\_\_\_\_ दिन/माह/वर्ष तक वैध होगा:

@ - अर्थात् बाई/ दाई/ दोनों बाजू/ टांगे

# - अर्थात् एक आंख / दोनों आंखें

£ - अर्थात् बायां / दायां / दोनों कान

4. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सकीय प्राधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर

सदस्य का नाम व मुहर	सदस्य का नाम व मुहर	अध्यक्ष का नाम व मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

फार्म - IV

विकलांगता प्रमाण पत्र

(फार्म ॥ व ॥ में वर्णित किए गए उन मामलों के अलावा)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले विकित्सकीय प्राधिकारी का नाम व पता)

वर्तमान पासपोर्ट साईज  
सत्यापित

अयोग्य व्यक्ति का फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखाकर)



प्रमाण पत्र नं.

दिनांक :

यह सत्यापित किया जाता है कि मेरे द्वारा सावधानी पूर्वक जांचा गया है:

श्री/श्रीमति/कुमारी \_\_\_\_\_ जिसकी फोटोग्राफ ऊपर लगाई गई है पुत्र/पत्नी /पुत्री श्री \_\_\_\_\_ जन्म तिथि (दिन / माह / वर्ष) \_\_\_\_\_ आयु \_\_\_\_\_ वर्ष, पुरुष/महिला \_\_\_\_\_ रजिस्ट्रेशन नं.. \_\_\_\_\_ मकान नं. \_\_\_\_\_ निवासी, वार्ड/गांव/गाती \_\_\_\_\_ पोस्ट ऑफिस \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_, का स्थायी निवासी है तथा संतुष्ट हूँ कि उसका/उसकी \_\_\_\_\_ विकलांगता का मामला है। उसका/उसकी शारीरिक हानि/अयोग्यता प्रतिशत की सीमा को, नीचे तालिका में संबंधित अयोग्यता के सामने दर्शायी गई तथा नीचे चिन्हित अयोग्यताओं के लिए दिशानिर्देशों (विनिर्दिष्ट किया जाए) के अनुसार मूल्यांकित किया गया है:

क्र.सं.	अयोग्यता	शरीर का प्रभावित भाग	रोग निदान	स्थायी शारीरिक हानि/शारीरिक अयोग्यता (% में)
1	लोकोमोटर अयोग्यता	@		
2	कम दृष्टि	#		
3	नेत्रहीनता	दोनों आंखें		
4	बहरापन	£		
5	मानसिक रूप से अशक्त	×		
6	मानसिक बीमारी	×		

(कृपया उक्त अयोग्यताएं हटाएं जो लागू नहीं हैं)

2. उक्त स्थिति प्रोग्रेसिव /गैर-प्रोग्रेसिव है/सुधार की संभावना है/सुधार की संभावना नहीं है।

3. अयोग्यता का पुनर्निर्धारण : (i) आवश्यक नहीं है,

या

(ii) \_\_\_\_\_ माह \_\_\_\_\_ वर्षों के पश्चात् सिफारिश की जाती है व इसी लिए यह प्रमाण पत्र \_\_\_\_\_ दिन/माह/वर्ष तक वैध होगा:

@ - अर्थात् बाई/ दाई/ दोनों बाजू/ टांगे

# - अर्थात् एक आंख / दोनों आंखें

£ - अर्थात् बायां / दायां / दोनों कान

4. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित मेडीकल अधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर)

(नाम व मुहर)

प्रति हस्ताक्षर

{यदि प्रमाण पत्र ऐसे विकित्सकीय प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है जो सरकारी नौकर नहीं है तो सरकारी अस्पताल के प्रभारी/मेडीकल सुपरिटेंडेंट/सीएमओ के प्रति हस्ताक्षर (मुहर के साथ)}

जिस व्यक्ति के संबंध में <b>विकलांगता</b> प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नोट : यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे विकित्सकीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जो सरकारी नौकर नहीं है तो यह तभी मान्य होगा यदि जिसे के मुख्य विकित्सकीय अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होंगे।

नोट: मुख्य नियम भारत के राजपत्र के दिनांक 31.12.1996 की अधिसूचना सं. एस.ओ.908 (ई), में प्रकाशित किए गए थे।

प्रोफोर्मा - ए

सेवानिवृत्त मुक्त कार्मिक हेतु लागू प्रमाण पत्र का फार्म

यह प्रमाणित किया जाता है कि संख्या \_\_\_\_\_ रैंक \_\_\_\_\_ नाम \_\_\_\_\_ जिसकी जन्म तिथि \_\_\_\_\_ है ने सेना/नौसेना/वायु सेना से \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक की सेवाएं प्रदान की हैं।

2. उसे निम्न कारणों से सैनिक सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है:

%ए) \_\_\_\_\_ के बिना काम पूरा होने पर

(i) निष्कासित किए जाने पर, या

(ii) दुराचार या अकुशलता के कारण छोड़ना

(iii) अपने अनुरोध पर परंतु पेंशन अर्जित किए बिना, अथवा

(iv) उसे इस प्रकार के ऐसी लंबित मुक्ति के कारण स्थानांतरित नहीं किया गया है कि

%बी) सैनिक सेवा के कारण शारीरिक विकलांगता के कारण

%सी) सैनिक सेवा में 5 वर्ष तक रहने के बाद अनुपयुक्त पाए जाने पर

3. वह समय-समय पर संशोधित भूतपूर्व सैनिक (सेंट्रल सिविल सेवाओं और पदों में पुनः नियोजन) नियम, 1979 की परिभाषा में आता हो।

स्थान:

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम

\*\*

तिथि:

मुहर

% जो पैराग्राफ लागू न हो उसे काट दें।

\*\* जो अधिकारी सशस्त्र बल कार्मिकों को आयु छूट प्रदान करने हेतु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं वे निम्न हैं:

(क) ईसीओ/एसएसीओ सहित आयुक्त अधिकारियों के मामले में: थल सेना: सैनिक सचिव शाखा, आर्मी हैडक्वार्टर, नई दिल्ली: जल सेना: कार्मिक निदेशालय, नेवल हैडक्वार्टर, नई दिल्ली: वायु सेना: कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु हैडक्वार्टर, नई दिल्ली।

(ख) जेसीओ/ओआर तथा जल सेना व वायु सेना के समकक्ष के मामलों में: वायु सेना: विविध रेजीमेंटल रिकार्ड कार्यालयों द्वारा, जल सेना: बीएबीएस, मुम्बई: वायु सेना: वायु बल रिकार्ड, नई दिल्ली।

प्रोफार्मा - बी

सेवारत कार्मिक हेतु प्रमाण पत्र का फार्म

(उन सेवारत कार्मिक पर लागू जिन्हें एक वर्ष के भीतर मुक्त कर दिया गया)

(iv) यह प्रमाणित किया जाता है कि संख्या \_\_\_\_\_ रैंक का \_\_\_\_\_ नाम \_\_\_\_\_ का व्यक्ति वायु/जल/सेना में  
\_\_\_\_\_ से सेवारत है।

2. अपने कार्य की विशिष्ट अवधि को पूरा हो जाने पर वह ----- को या पूर्व सेवानिवृत्त /मुक्त किए जाने का पत्र है। .
3. उसके विरुद्ध कोइ भी अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं है।

स्थान :

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम \*\*

तिथि :

मोहर

\*\* जो अधिकारी सशस्त्र बल कार्मिक को आयु छूट प्रदान करने हेतु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं वे निम्न हैं:

(v) ईसीओ/एसएससीओ सहित आयुक्त अधिकारियों के मामले में: थल सेना: सैनिक सविव शाखा, आर्मी हैडक्वार्टर, नई दिल्ली: जल सेना: कार्मिक निदेशालय, नेवल हैडक्वार्टर, नई दिल्ली: वायु सेना: कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु हैडक्वार्टर, नई दिल्ली।

(बी) जेसीओ/ओआर तथा जल सेना व वायु सेना में इसके समकक्ष के मामलों में: वायु सेना: विविध रेजीमेंटल रिकार्ड कार्यालयों द्वारा, जल सेना: बीएबीएस, मुम्बई: वायु सेना: वायु बल रिकार्ड, नई दिल्ली।

प्रोफार्मा - सी

वायु दल के उन सेवारत कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता जिन्हें एक वर्ष के भीतर मुक्त किया जाना है।

**(1)** मैं समझता हूँ कि इस आवेदन से संबद्ध परीक्षा/भर्ती के आधार पर यदि मेरा चयन कर लिया जाता है तो मेरी नियुक्ति मेरे द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर नियोक्ता अधिकारी की संतुष्टि के तहत होगी कि मुझे थल सेना से विधिवत् रूप से सेवानिवृत्त/मुक्त कर दिया गया है और मैं समय-समय पर संशोधित भूतपूर्व सैनिक (री-एम्प्लाईमेंट इन सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट्स) नियम 1979, के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिक को देय लाभांश का पात्र हूँ।

**(2)** मैं यह भी समझता हूँ कि यदि ऐसी नियुक्ति से पूर्व किसी भी समय मैंने (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, स्वायत्त निकाय/सांविधि निकाय, राष्ट्रीय बैंक, इत्यादि) किसी भी सिविल साईड, कभी कोई नौकरी की, तो इस परीक्षा द्वारा मिलनेवाली भर्ती के संबंध में किसी रिक्ति में भूतपूर्व सैनिक की छूट प्राप्त करने का पात्र नहीं हूँगा।

अभ्यार्थी का नाम व हस्ताक्षर

स्थान :

तिथि :

प्रोफार्मा - डी

सशस्त्र सेना में सेवारत उन कार्मिक हेतु प्रमाण पत्र का फार्म जिन्होंने अपना प्रारंभिक कार्य पूर्ण कर लिया है और वे विस्तारित कार्य कर रहे हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि संख्या \_\_\_\_\_ रैक \_\_\_\_\_ नाम \_\_\_\_\_ जिनका जन्म तारीख \_\_\_\_\_ है थल/वायुजल सेना में दिनांक \_\_\_\_\_ से सेवारत हैं।

2. उन्होंने अपने प्रारंभिक पांच वर्ष के कार्यकाल दिनांक \_\_\_\_\_ को पूर्ण कर लिया है तथा वह दिनांक \_\_\_\_\_ तक विस्तारित कार्य पर हैं।
3. उनके सिविल रोजगार के आवेदन करने पर कोई आपत्ति नहीं है और उनके चयन हेतु नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम \*\*

स्थान :

तिथि :

मोहर

\*\* जो अधिकारी सशस्त्र बल कार्मिकों को आयु छूट प्रदान करने हेतु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं वे निम्न हैं:

- (क) ईसीओ/एसएसीओ सहित आयुक्त अधिकारियों के मामले में: थल सेना: सैनिक सचिव शाखा, आर्मी हैडक्वार्टर, नई दिल्ली: जल सेना: कार्मिक निदेशालय, नेवल हैडक्वार्टर, नई दिल्ली: वायु सेना: कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु हैडक्वार्टर, नई दिल्ली।
- (ख) जेसीओ/ओआर तथा जल सेना व वायु सेना में इसके समकक्ष के मामलों में: वायु सेना: विविध रेजीमेंटल रिकार्ड कार्यालयों द्वारा, जल सेना: बीएबीएस, मुम्बई: वायु सेना: वायु बल रिकार्ड, नई दिल्ली।